



संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

निविदा आमंत्रण सूचना

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरामुंडा (एसक्यूबीएम) में नियंत्रण पैनल और ध्वनिक संलग्नक सहित 50 केवीए डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा

1. बरामुंडा (एसक्यूबीएम) में उपर्युक्त कार्य के लिए एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य की अनुमानित लागत **जीएसटी सहित ₹9.05 लाख है और इसे 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।**
 2. सभी दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
 3. डीडी के रूप में या एनईएफटी द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि (ईएमडी) को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक को नाम से संबोधित सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए, जिस पर "बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरामुंडा (एसक्यूबीएम), भुवनेश्वर में नियंत्रण पैनल और ध्वनिक संलग्नक सहित 50 केवीए डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ईएमडी" लिखा होना चाहिए।
 4. जो फर्म निम्नलिखित पूर्व-पात्रता मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं तथा ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उनके निविदा को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, बोली लगाने के समय बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। ईएमडी जमा करने से छूट चाहने वाले एमएसई को निविदा के भाग-1 के साथ उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) अपलोड करनी होगी, ऐसा न करने पर बोली खारिज कर दी जाएगी।
- A.** निविदाकर्ता को प्रस्तावित डीजी सेट का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए या प्रस्तावित डीजी सेट के ओईएम का अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि होना चाहिए। उपरोक्त के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज निविदा भाग-1 के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निविदाकर्ता **अनुलग्नक XI/XII के रूप में लागू दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।**
- B. पांच वर्ष से पूर्व का अनुभव :** - निविदाकर्ता के पास **30 अप्रैल 2020** को या उससे पहले डीजी सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- C. अहंक:-** निविदाकर्ता ने **30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान** व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित लागत के अनुसार "समान कार्य" सफलतापूर्वक निष्पादित किए होंगे:

(क) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं होगी।

या

(ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% से कम नहीं होगी।

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

नोट: समान कार्य का तात्पर्य है 'कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक परिसरों के लिए डीजी सेट (50 केवीए या उच्च रेटिंग) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा संबंधित कार्य।

(उपर्युक्त को स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता को ऐसे समान कार्य के लिए कार्य आदेश की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए, तथा निजी फर्म के मामले में संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र और टीडीएस प्रमाण पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए)

और

D. पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक कारोबार होना चाहिए, जिसका समर्थन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा किया गया हो।

और

E. बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर में एक सेवा स्थापित की गई है।

5. पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए एमएसटीसी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज अपलोड करने होंगे

a)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के संस्था के अंतर्नियम /पावर ऑफ अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, ईपीएफ और ईएसआई दस्तावेजों के साथ श्रमिकों के पंजीकरण का विवरण (यदि कोई हो)।
b)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को करने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा (अर्थात्, बोलीदाता को 30 अप्रैल, 2020 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए) * अर्थात् अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, अवार्ड की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र में दर्शाते हुए जो वास्तविक समाप्ति की तारीख और निष्पादित समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हैं, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक(ओं) द्वारा जारी किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। बोलीदाता को कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
c)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	बोली लगाने वाले के पास 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए * एकल रूप से लागत (a) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹3,62,000/- या (b) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से

		कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹4,52,500/- या (c) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ₹7,24,000/- और अवार्ड की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों की वास्तविक समाप्ति की तारीख और वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
d)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही, ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम लेखों की प्रतियां, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऋण पात्रता के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर की जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
e)	बैंक खातों का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए।
f)	वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	फर्म के ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
g)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्य के ग्राहकवार नाम, कार्य के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्य की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्य को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया/थे, अपलोड किया जाना चाहिए।
h)	बैंकर्स सर्टिफिकेट	कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का बैंकर्स प्रमाण पत्र अनुलग्नक- V के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में असफल रहने की स्थिति में, बैंक निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. इच्छुक निविदाकर्ताओं की बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़-लाइन मोड) **26 जून 2025** को प्रातः 11.00 बजे संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी।
8. निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com/eproc पर **30 मई 2025** को 18:00 बजे से उपलब्ध होंगे। इस ई-निविदा को एमएसटीसी की वेबसाइट के माध्यम से अनिवार्य रूप से भरा / ऑनलाइन जमा किया जाना है। ई-निविदा दाखिल करने और जमा करने की अंतिम तिथि **10 जुलाई 2025 को 14:00 बजे तक है**। ई-निविदा का भाग-1 **10 जुलाई 2025 को 14:30 बजे खोला** जाएगा। फर्मों द्वारा ई-निविदा जमा करने के विस्तृत दिशानिर्देश निविदा अनुसूची

(एसओटी) में उल्लिखित हैं। सहायक दस्तावेजों के साथ ई-निविदा दस्तावेज के भाग-1 की जांच के बाद, यदि किसी भी फर्म के पास आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनके ई-निविदाएं आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. निर्धारित प्रपत्र में निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। निविदा के भाग-1 में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें तथा निविदाकर्ताओं का कवरींग लेटर शामिल होगा। हालांकि, एनईएफटी हस्तांतरण के रूप में **₹18,100/-** की ईएमडी (एनईएफटी के लिए बैंक विवरण इस प्रकार हैं खाता नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर; खाता संख्या: 186004001; आईएफएससी कोड: आरबीआईएस0बीबीपीए01 (कृपया आईएफएससी कोड का 5वां और 10वां अक्षर "शून्य" पढ़ें), या भुवनेश्वर में देय भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, भुवनेश्वर - 751001 को **10 जुलाई, 2025 को 14:00 बजे से पहले व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए जिस पर "भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर बारामुंडा (एसक्यूबीएम) में कंट्रोल पैनल और ध्वनिक संलग्नक सहित 50 केवीए डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा के लिए ईएमडी"** लिखा हो।
10. आवेदकों/निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज जमा/ अपलोड करने होंगे:
 - a. **अनुलग्नक-II** में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण-पत्र, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं।
 - b. अपने बैंकर/बैंकरों से **अनुलग्नक-V** में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र।
11. क्लाइंट का प्रमाण पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन या पीएसयू के मामले में कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और तभी जब वे ठेकेदार द्वारा किए गए काम के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त सबूत द्वारा समर्थित हों। निजी संगठनों द्वारा जारी किए गए क्लाइंट के प्रमाण पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के बिना अपलोड किए गए आवेदन/निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं। बैंक को इन प्रमाण पत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।
12. बैंक निविदाओं की मूल्य बोली खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी भी निविदाकर्ता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-1 के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
13. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर



संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ
50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/25-26/ईटी/157

भाग I

(सामान्य शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

यह दस्तावेज रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) की प्रॉपर्टी है। सिवाय आरबीआई को जवाब देने के मकसद को छोड़कर आरबीआई की लिखित परमिशन के बिना इसे किसी भी मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक या किसी और तरह से कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इस दस्तावेज के कंटेंट का इस्तेमाल, यहां तक कि ऑथराइज़्ड लोगों/एजेंसियों द्वारा भी, यहां बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए करना पूरी तरह से मना है, और यह कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने पर भारतीय कानून के तहत सज़ा होगी।

अस्वीकरण

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर (बैंक) ने यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। यह जानकारी होने वाले बोलीदाता को दी गई है ताकि वे **भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ़ कार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीज़ल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा के लिए बिड कर सकें।**

यह निविदा न तो किसी पार्टी के साथ कोई करार है, न ही किसी पार्टी को किसी भी तरह का काम करने का आमंत्रण है। इस निविदा का मकसद सभी इच्छुक पार्टियों के साथ बैंक की ज़रूरतों को शेयर करना है ताकि वे अपनी बिड जमा कर सकें। **हालांकि बैंक ने यहां दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है, लेकिन बैंक यह दावा नहीं करता कि यह जानकारी पूरी है। इस निविदा के जवाब देने वालों को अपनी जांच खुद करनी होगी और उन्हें सिर्फ निविदा में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर जवाब देने वाले कोई सावधानी नहीं करते हैं तो बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।** बैंक इस निविदा को आगे न बढ़ाने, इस दस्तावेज में दिखाए गए टाइमटेबल को बदलने, काम के स्कोप को अपडेट करने या लागू होने वाले प्रोसेस या प्रोसीजर को बदलने का अधिकार रखता है। बैंक किसी भी जवाब देने वाले के साथ निविदा पर आगे चर्चा करने से मना करने का भी अधिकार रखता है। बिड जमा करने वाले लोगों या एंटीटी को किसी भी तरह की या किसी भी अकाउंट की लागत का कोई रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा।



संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा

1. बरमुंडा (SQBM) में ऊपर दिए गए काम के लिए MSTC वेबसाइट के ज़रिए ई-टेंडरिंग प्रोसेस से ऑनलाइन निविदा मंगाए गए हैं। इस काम पर **GST मिलाकर ₹9.05 लाख खर्च होने का अनुमान है और इसे 60 दिनों में पूरा करना है**।
2. सभी डॉक्यूमेंट्स MSTC की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
3. एनईएफटी द्वारा भुगतान की गई डीडी के रूप में बयाना राशि (ईएमडी) को नाम से संबोधित सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर "ईएमडी - कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM), भुवनेश्वर" लिखा होना चाहिए।
4. जो फर्म नीचे दिए गए प्री-क्वालिफिकेशन मानदंड को पूरा नहीं करती हैं और ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उनके निविदा पार्ट-II को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSEs) के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (उद्योग आधार मेमोरेण्डम नंबर) है, चाहे वे किसी भी कैटेगरी के हों, उन्हें बिडिंग के समय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करने की ज़रूरत से छूट दी जाएगी। ईएमडी जमा करने से छूट चाहने वाले MSEs को निविदा के पार्ट-I

के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (उद्योग आधार मेमोरेण्डम नंबर) अपलोड करना होगा, ऐसा न करने पर बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।

A. निविदा देने वाला या तो दिए गए DG सेट का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) होना चाहिए या दिए गए DG सेट के OEM का ऑथराइज्ड डीलर/रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऊपर बताई गई बातों के सपोर्ट में ज़रूरी दस्तावेज निविदा पार्ट-I के साथ जमा करने होंगे। निविदा देने वाला लागू दस्तावेज अनुलग्नक XI या XII के तौर पर जमा करेगा।

B. पांच वर्ष से पूर्व का अनुभव : - निविदाकर्ता के पास 30 अप्रैल 2020 को या उससे पहले डीजी सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

C. पात्रता कार्य: - निविदाकर्ता ने **30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान** व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित लागत के साथ "समान कार्य" को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए:

(अ) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं हो।

या

(ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

नोट: मिलते-जुलते काम का मतलब है 'ऑफिस बिल्डिंग/कमर्शियल जगह/इंडस्ट्रियल घरों के लिए DG सेट (50KVA या उससे ज़्यादा रेटिंग) की सप्लाय, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग और उससे जुड़े काम।

(ऊपर बताई गई बातों को साबित करने के लिए, निविदा देने वाले को ऐसे ही काम के लिए वर्क

ऑर्डर की कॉपी जमा करनी होगी, और प्राइवेट फर्म के मामले में संबंधित कंप्लीशन सर्टिफिकेट और TDS सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी होगी)

और

D. पिछले 3 सालों में अनुमानित लागत का कम से कम 100% सालाना टर्नओवर हो, जिसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हों।

और

E. आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए भुवनेश्वर में एक सर्विस सेट अप करें।

5. कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पात्रता के बारे में बैंक को सैटिस्फाई करने के लिए MSTC वेबसाइट पर नीचे दी गई जानकारी/डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

(ए)	फर्म की संरचना	कॉन्ट्रैक्टर की फर्म की पूरी जानकारी (चाहे कॉन्ट्रैक्टर कोई व्यक्ति हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी वगैरह) डिटेल् में अपलोड करनी होगी, साथ ही नाम और पता, पार्टनर के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन/पावर ऑफ़ अटॉर्नी/दूसरे ज़रूरी दस्तावेजकी कॉपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, लेबर के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स और अगर कोई EPF और ESI दस्तावेजहों तो।
(बी)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को पूरा करने के कम से कम 5 वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात्, बोलीदाता ने 30 अप्रैल, 2020 से पहले समान कार्य/कार्यों का कार्य किया होना चाहिए) * अर्थात् अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश/आदेशों की प्रतियां, जिसमें अवार्ड की तिथि, अनुबंध राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो और संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र, जो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के

		<p>लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य और पूर्णता की वास्तविक तिथि दर्शाता हो और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहकद्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। बोलीदाता को कार्य आदेशों, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।</p>
(सी)	<p>काम का अनुभव और तय समय में तय कीमत के मिलते-जुलते काम पूरे करना</p>	<p>बोली लगाने वाले के पास अलग-अलग लागत वाले (a) तीन काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो, यानी ₹3,62,000/- या (b) दो काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% से कम न हो, यानी ₹4,52,500/- या (c) एक काम, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो, यानी ₹7,24,000/- पिछले 5 सालों के दौरान, जो 30 अप्रैल, 2025 को खत्म हो रहे हों, और उन्हें पात्र कामों के लिए डिटेल्ड वर्क ऑर्डर/ऑर्डर की कॉपी जमा करनी चाहिए, जिसमें अवार्ड की तारीख, कॉन्ट्रैक्ट की रकम, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय वगैरह बताया गया हो, और सरकार/पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए क्लाइंट द्वारा जारी किए गए इसी तरह के काम/कामों की असली कीमत और पूरा होने की असली तारीख बताने वाला संबंधित पूरा होने का सर्टिफिकेट और वर्क ऑर्डर, काम पूरा होने का सर्टिफिकेट और सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) की कॉपी जमा करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए क्लाइंट द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट। फ़ॉर्मेट के अनुसार हर पात्र काम के लिए क्लाइंट सर्टिफिकेट।</p>
(डी)	<p>कॉन्ट्रैक्टर की ऋण पात्रता और बताई गई</p>	<p>इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के बिज़नेस के लेटेस्ट फ़ाइनल</p>

	अवधि के दौरान उनका टर्नओवर	अकाउंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित किए गए हों, क्रेडिट के सबूत के तौर पर अटैच किए जाने चाहिए और पिछले तीन सालों का टर्नओवर अपलोड किया जाना चाहिए।
(ई)	बैंक खातों का विवरण	बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, टाइप, कब खोला गया वगैरह, अपलोड करनी होगी।
(एफ)	क्लाइंट्स और उनके मौजूदा कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स के नाम और पते	फर्म के क्लाइंट्स के नाम और पते के बारे में लिखी हुई जानकारी, साथ ही कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स (यानी, वे लोग जिनसे ज़रूरत पड़ने पर बैंक क्लाइंट्स के ऑफिस में संपर्क कर सकता है) की पूरी डिटेल्स, जैसे नाम, पोस्टल एड्रेस, ई-मेल ID, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर वगैरह अपलोड करनी चाहिए।
(जी)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	क्लाइंट के हिसाब से काम के नाम, काम पूरा होने का साल, दिए गए काम की असली कीमत, कॉन्ट्रैक्ट में तय काम पूरा होने का समय और काम पूरा होने में लगा असली समय, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभाग के तहत काम पूरा हुआ/हुए, उनके नाम और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड की जानी चाहिए।
(एच)	बैंकर्स प्रमाणपत्र	काम की अनुमानित लागत के बराबर रकम का बैंकर सर्टिफिकेट, अनुलग्नक-V के अनुसार जमा करना होगा।

6. अगर निविदा देने वाला बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो बैंक टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने से मना करने का अधिकार रखता है।
7. इच्छुक निविदा देने वालों की प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 26 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे संपदा विभाग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर में होगी।
8. निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com/eproc पर 30 मई, 2025 को 18:00 बजे से उपलब्ध होंगे। इस ई-टेंडर को एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से अनिवार्य रूप से भरना / ऑनलाइन जमा करना होगा। ई-टेंडर दाखिल करने और जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 को 14:00 बजे तक है। ई-टेंडर का पहला भाग 10 जुलाई

2025 को 14:30 बजे खोला जाएगा। फर्मों द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों का उल्लेख निविदा अनुसूची (एसओटी) में किया गया है। सहायक दस्तावेजों के साथ ई-निविदा दस्तावेज के भाग I की जांच के बाद, यदि किसी भी फर्म के पास आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनके ई-निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. निविदा डॉक्यूमेंट्स MSTC की वेबसाइट पर तय फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे। निविदा के पार्ट-I में प्रपोज़्ड काम के लिए बैंक की स्टैंडर्ड टेक्निकल और कमर्शियल शर्तें और निविदा करने वालों का कवरींग लेटर होगा। हालाँकि, NEFT अंतरण के रूप में ₹18,100/- की ईएमडी (NEFT के लिए बैंक विवरण हैं खाता नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर; खाता संख्या: 186004001; IFSC कोड: आरबीआईS0BBPA01 (कृपया IFSC कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" पढ़ें), या भुवनेश्वर में देय भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट 10 जुलाई, 2025 को 14:00 बजे से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, भुवनेश्वर - 751001 में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए जिसके ऊपर " **भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ कार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 केवीए डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा**

10. एप्लिकेंट्स/निविदाकर्ता को सबमिट/अपलोड करना होगा।

- a. **Annex-II** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, उनके क्लाइंट्स से, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए पात्रता (Pre-qualification) मानदंड के हिसाब से "पात्र काम" किए हैं।
- b. अपने बैंकर/बैंकरों से **Annex-V** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार बैंकर सर्टिफिकेट।

क्लाइंट का सर्टिफिकेट तभी माना जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन या PSU के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर/सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर या उसके बराबर रैंक के अधिकारी के साइन हों और उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर को उसके किए गए काम के लिए मिले पेमेंट का सही सबूत हो। प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा जारी क्लाइंट के सर्टिफिकेट के साथ टैक्स डिडक्टेड

एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ऊपर दिए गए सर्टिफिकेट के बिना अपलोड किए गए एप्लीकेशन/निविदा रिजेक्ट किए जा सकते हैं। बैंक को इन सर्टिफिकेट को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा।

बैंक निविदा की प्राइस बिड खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर किसी भी निविदाकर्ता के पास किसी भी समय टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स और/या उसके बैंकर्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा का पार्ट-1 खुलने के बाद भी उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है।

11. बैंक सबसे कम कीमत वाले निविदा को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है और किसी भी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदा को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता है।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

वस्तु	विवरण
ई-निविदा नंबर	ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा / 5/25-26/ईटी/157
निविदा का माध्यम	ई- खरीद सिस्टम (एमएसटीसी पोर्टल) (ऑनलाइन भाग में – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग द्वितीय – कीमत बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprocn)
कार्य की अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹9,05,000/-
पार्टियों के लिए NIT की तारीख डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	30 मई, 2025, 18:00 बजे.
बोली-पूर्व बैठक	26 जून, 2025 को 11.00 बजे ऑफ़लाइन स्थान- भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, आरबीआई भुवनेश्वर

बयाना राशि	<p>ईएमडी 18,100/- रुपये की निम्नलिखित माध्यम से भेजे जाने हैं:</p> <p>i. एनईएफटी:</p> <p>खाता संख्या-186004001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड - आरबीआईS0BBPA01 (0=शून्य), शाखा का नाम – भुवनेश्वर।</p> <p>ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स estatebhubaneswar@rbi.org.in पर देनी होंगी।</p> <p>या</p> <p>ii. डिमांड ड्राफ्ट</p> <p>रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर के नाम पर फिजिकल फॉर्म में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, पं. जे.एन. मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर डिलीवर किया जाना है।</p>
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख	10 जुलाई 2025, 14:00 बजे तक।
ई-निविदा शुरू होने की तारीख ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली जमा करना	30 जून, 2025, 14:00 बजे से.
टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	10 जुलाई 2025, 14:00 बजे तक।
भाग-I खुलने की तिथि और समय (यानी टेक्नो-कमर्शियल बोली) पार्ट-II प्राइस बिड: पार्ट II यानी प्राइस बिड खोलने की तारीख अलग से बताई जाएगी	10 जुलाई, 2025, 14:30 बजे.
लेनदेन शुल्क	जैसा MSTC लिमिटेड चार्ज करेगा। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट MSTC पेमेंट गेटवे के ज़रिए ऑनलाइन किया जाएगा।

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर MSTC लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन निविदा सबमिट करने से पहले, निविदा इनवाइटिंग नोटिस और उसके बाद के शुद्धिपत्र, अगर कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) रजिस्ट्रेशन : इस प्रोसेस में वेंडर का MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, जो फ्री है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वेंडर अपनी बिड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। टेक्नो - कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े P.C. से बिड लगाने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। आरबीआई ऐसा इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल सिग्नेचर के बिड रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए

सिर्फ www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन सबमिट किया गया (वर्जन 3)

1) वेंडर्स को www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें -- डिटेल्स भरें और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं। सबमिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / रजिस्ट्रेशन पर जाएं।

वेंडर्स को उनके रजिस्ट्रेशन को कन्फर्म करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके ईमेल पर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया था। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, कृपया MSTC/आरबीआई से संपर्क करें, (ई - निविदा के तय समय से पहले)।

सम्पर्क करने का विवरण:

a) वेंडर्स के लिए कॉन्टैक्ट पर्सन (MSTC):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर्स के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता

सभी टेक्निकल इशू जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग वगैरह के लिए सभी वर्किंग डेज़ में सुबह 9:30 AM से शाम 5:00 PM तक।

b) संपर्क व्यक्ति (MSTC)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं

संपर्क व्यक्ति	मेल	गतिमान
श्री महेश रामावत	rmahesh@mstcindia.co.in	8801281004
श्री टीडीएमवी सत्यसाई	tsatyasai@mstcindia.co.in	6370350776
सहायता डेस्क/कार्यालय	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

c) आरबीआई (RO/TE) में संपर्क व्यक्ति

श्री प्रेम शंकर कोनापाला , समप्र – premshankark@rbi.org.in (मोबाइल – 8074376753) श्री सुभाष


गोविंद पवार (टीई) – subhashpawar@rbi.org.in (मोबाइल – 9958969919)

श्री आकोजू श्रवण कुमार, सप्र – asravankumar@rbi.org.in (मोबाइल – 8247400250)

गाईड

प्रणाली:

<https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर मौजूद **DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE** देख सकता है ।



- i) Windows 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii. एज/गूगल क्रोम
- iii) साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर iv) लेटेस्ट अपडेटेड JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा।

DSC को साइनर बॉक्स में दिखाने के लिए “प्रोटेक्टेड मोड” को डिसेबल करने के लिए, ये सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

• Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”. • Other Settings:

Tools => Internet Options => General => Click On Settings under “browsing history/Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I Visit the Webpage”.

To enable ALL active X controls and disable ‘use pop up blocker’ under Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once)

1. लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड प्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "प्रक्रिया कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना बदलाव किए मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा

ट्रांज़ैक्शन फ्रीस नॉन-रिफंडेबल है। ट्रांज़ैक्शन फ्रीस का पेमेंट किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं मिलेगा।

नोट : बिड लगाने वालों को सूचना दी जाती है कि वे प्रक्रिया के बंद होने से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फ्रीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बिड जमा करने के लिए काफ़ी समय मिल सके।

2. निविदा/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा फाइनल होने तक प्रोसेस के दौरान सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर्स को यह पक्का करना होगा कि MSTC Ltd. के साथ वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय दी गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल ID वैध और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के DSC (डिजिटल सिग्नेचर) की वैलिडिटी पक्का करें। प्रमाणपत्र)।

3. एनआईटी (सूचना आमंत्रण) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा एक्सेस नहीं किया जा सकता।

4. बोली लगाना ई-निविदा :

नोट: वेंडर्स को दस्तावेज लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड करने के लिए My menu में ***Upload Documents*** लिंक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एक से ज़्यादा दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 MB है।

लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद, वेंडर्स उस खास ई - निविदा के साथ **अटैच** दस्तावेज **लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं**। कृपया ध्यान दें कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ई - निविदा के साथ अटैच नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई डाउनलोड नहीं कर सकता। और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के इंस्ट्रक्शन्स फ़ॉलो करें।

- a) बोली लगाने वालों को ई - निविदा के लिए ज़रूरी ईएमडी, ई-निविदा फीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फीस अलग से जमा करनी होगी। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फीस है, तो वह नॉन - रिफंडेबल है। ईएमडी पर कोई इंटेरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो बोली लगाने वाले असफल होंगे, उनकी ईएमडी आरबीआई वापस कर देगी।
- b) इस प्रोसेस में टेक्नो कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

बिडर ने ऊपर दी गई फीस जमा कर दी है, वे अपनी टेक्नो कमर्शियल बिड और प्राइस बिड सिर्फ़ इंटरनेट के ज़रिए MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → New Common Portal → Bid Floor Manager → live event → Selection of the live event → Transaction fee- > Common terms- > Attach Documents- > Price Bid.

कृपया ध्यान दें: ट्रांज़ैक्शन फीस और ईएमडी डिटेल्स सक्सेसफुल भेजने के बाद, वेंडर के लॉगिन में 'अटैच डॉक्यूमेंट्स और कॉमन टर्म्स' टैब चालू हो जाएगा। इस स्टेप के सक्सेसफुल पूरा होने के बाद, वेंडर्स को लॉट की खास शर्तों को सेव करने और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड सबमिट करने या प्राइस बिड सबमिट करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करने की इजाज़त होगी, जैसा भी मामला हो। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और/या कॉमन टर्म्स सेव करने का स्टेप कामयाब नहीं होता है, तो लॉट की खास शर्तों को सेव करने और प्राइस बिड सबमिट करने वाले टैब बंद हो जाएंगे। यह सक्सेसफुल/पेंडिंग है या नहीं, इसका स्टेटस बिड स्टेटस बटन में दिखेगा।

- c) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन, अगर कोई हो, भरकर सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो - कमर्शियल बिड भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने

के बाद, प्राइस बिड लिंक एक्टिव हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड रिकॉर्ड करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए । फिर जब टेक्नो - कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए " फाइनल सबमिशन " बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " डिलीट बिड " ऑप्शन दिखेगा । अगर वेंडर फ़ाइनल सबमिशन के बाद बिड डिलीट करना चाहता है और बिड को दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे डिलीट बिड पर क्लिक करके उसे दोबारा सबमिट करना चाहिए और फिर से फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए ।

- d) सभी मामलों में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए ।
- e) पूरे ई - निविदा प्रोसेस के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से एनॉनिमस रहेंगे ।
- f) ई - निविदा फ़्लोर पहले से बताई गई तारीख और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा ।
- g) ई - निविदा प्रोसेस के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड बिडर पर कानूनी तौर पर लागू होंगी । किसी भी बिड को उस बिडर की दी गई वैध बिड माना जाएगा और बायर के उसे स्वीकार करने से सप्लाई / काम पूरा करने के लिए बायर और बिडर के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे सप्लायर / कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा ।
- h) यह ज़रूरी है कि सभी बिड्स क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें **स्वीकार** नहीं करेगा ।
- i) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में कैंसल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है ।

- j) - निविदा दस्तावेज के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है । किसी भी बिडर का ई - निविदा प्लोर में बिड जमा करना यह कन्फर्म करता है कि उसने ई - निविदा के टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए हैं ।

यूनिट ऑफ़ मेज़र (UOM) ई - निविदा प्लोर में बताया गया है । कोट किया जाने वाला रेट ई - निविदा प्लोर / निविदा दस्तावेज में बताए गए UOM के अनुसार भारतीय रुपये में होना चाहिए ।

इस निविदा से मिलने वाला कोई भी ऑर्डर इसमें बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा।

टेक्निकल और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

निविदा बुलाने वाली अथॉरिटी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को कैंसिल करने या बिड मिलने की तारीख बढ़ाने का अधिकार है।

वेंडर्स से **अनुरोध** है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए वेंडर गाइड पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprochome पेज पर वीडियो देखें।

स्थान : हस्ताक्षर और मुहर निविदाकर्ता

दिनांक:

नाम:

पता:

ईमेल:

फ़ोन:

मोबाइल :

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	भाग -I. निविदा का प्रारूप	13
2.	सेक्शन-II. निविदा देने वाले के लिए आम निर्देश और खास शर्तें	15
3.	सेक्शन-III. सुरक्षा कोड	25
4.	सेक्शन-IV. फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी	27
5.	भाग -V. इसमें पहले बताई गई शर्त और परिशिष्ट	29
6.	भाग -VI. विशेष शर्तें	44
7.	भाग -VII. इसमें संदर्भित परिशिष्ट	45
8.	सेक्शन-VIII. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स	46
9.	भाग -IX. तकनीकी विवरण	57
10.	खंड-X. निर्दिष्ट मेक की सूची	59
11।	सेक्शन XI - बिना कीमत वाली मात्रा का बिल (कोट के लिए नहीं)	60
12.	अनुलग्नक I- क्लाइंट्स की लिस्ट का फॉर्मेट	62
13.	अनुलग्नक II- क्लाइंट के सर्टिफिकेट के लिए प्रोफॉर्म	63
14.	अनुलग्नक III – सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	65
15.	अनुलग्नक IV- करार की शर्तें	68
16.	अनुलग्नक V- बैंकर प्रमाणपत्र के लिए प्रोफॉर्म	74
17.	अनुलग्नक VI- सेवा सेटअप का प्रारूप	75

18.	अनुलग्नक VII – तकनीकी विचलन की अनुसूची	76
19.	अनुलग्नक VIII – वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची	77
20.	अनुलग्नक IX- बैंकों का विवरण	78
21.	अनुलग्नक-X- प्रपोज़ल पर साइन करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का फ़ॉर्मेट	79
22.	अनुलग्नक XI- इस बिड में भाग लेने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) से लेटर ऑफ़ ऑथराइज़ेशन का प्रोफ़ॉर्मा (पार्ट A)	80
23.	अनुलग्नक XII- इस बिड में भाग लेने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) से लेटर ऑफ़ ऑथराइज़ेशन का प्रोफ़ॉर्मा (पार्ट B)	81
24.	अनुलग्नक – XIII – उत्पत्ति के देश की घोषणा	82
25.	अनुलग्नक XIV- – भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा	83
26.	अनुलग्नक XV - साइट विज़िट के संबंध में वचन	84
27.	मूल्य बोली (भाग-II)	85

खंड I

निविदा का प्रारूप

प्रिय महोदय,

मेमोरेण्डम में बताए गए कामों से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, ड्राइंग्स, डिज़ाइन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल की जांच करने के बाद, और उस मेमोरेण्डम में बताए गए कामों की साइट पर जाकर जांच करने और निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, हम मेमोरेण्डम में बताए गए कामों को, मेमोरेण्डम में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताई गई दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, करार के आर्टिकल्स, स्पेशल शर्तों, क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन्स, ड्राइंग्स और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा दिए गए सामान के साथ, और बाकी सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकती हैं, सप्लाई और पूरा करने का ऑफर देते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	:	भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा
(बी)	अनुमानित लागत	:	जीएसटी सहित 9,05,000/- रुपये
(सी)	बयाना राशि	:	रु. 18,100/-

(ई)	काम शुरू करने के लिए लिखित ऑर्डर की तारीख के 14 वें दिन से काम पूरा करने का समय ।	:	60 दिन
-----	---	---	--------

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा निविदा, निविदा के पार्ट I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेगा और इस वैलिडिटी पीरियड को बैंक और हमारे बीच लिखित में तय समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम साथ में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार, निविदा की वैलिडिटी के पूरे समय के दौरान बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
3. अगर यह निविदा स्वीकार हो जाता है, तो मैं/हम निविदा के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, तो निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त करके आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को दे देंगे, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की लिखित स्वीकृति भी दे देंगे।
4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक में बयाना राशि के तौर पर ₹ 18,100/- जमा किए हैं, इस रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह रकम हम भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त कर लेंगे।
5. निविदा दो हिस्सों में अपलोड किए जाएंगे। पार्ट I में सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस और टेक्निकल डिटेल्स होंगे और पार्ट II में सिर्फ बैंक के प्रोफॉर्मा में प्राइस बिड होगी।

साइन करने के लिए ऑथराइज़्ड फर्म के पार्टनर का नाम (या)

कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम। (सर्टिफ़ाइड टू कॉपी)

पावर ऑफ़ अटॉर्नी अटैच होनी चाहिए।)

भवदीय

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(गवाहों के हस्ताक्षर और पते)

खंड II

निविदाकर्ता(ओं) के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

भाग I - वाणिज्यिक शर्तें

ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स या उनके ऑथराइज़्ड डीलर्स/इंटीग्रेटर्स से ' बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) भुवनेश्वर में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीज़ल जेनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा ' के काम के लिए ई-टेंडर्स मंगाए गए हैं। निविदा के पार्ट-I और पार्ट II स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स पूरी तरह से भरकर MSTC वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।

2. पात्रता मानदंड:

- A. निविदा देने वाला या तो दिए गए DG सेट का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) होना चाहिए या दिए गए DG सेट के OEM का ऑथराइज़्ड डीलर/रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऊपर बताई गई बातों के सपोर्ट में ज़रूरी दस्तावेज निविदा पार्ट-I के साथ जमा करने होंगे। निविदा देने वाला लागू दस्तावेज **अनुलग्नक XI या XII के तौर पर जमा करेगा।**
- B. **पांच वर्ष से पूर्व का अनुभव :** - निविदाकर्ता के पास डीजी सेट की आपूर्ति , स्थापना , परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के क्षेत्र में अर्थात 30 अप्रैल 2020 को या उससे पहले कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

सी. अर्हक कार्य:- निविदाकर्ता ने **30 अप्रैल 2025** को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक "समान कार्य" निष्पादित किए हों, जिनकी व्यक्तिगत लागत निम्नानुसार हो:

(अ) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं हो।

या

(ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

नोट: मिलते-जुलते काम का मतलब है 'ऑफिस बिल्डिंग/कमर्शियल जगह/इंडस्ट्रियल घरों के लिए DG सेट (50KVA या उससे ज़्यादा रेटिंग) की सप्लाय, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग और उससे जुड़े काम'

और

D. पिछले 3 सालों में अनुमानित लागत का कम से कम 100% सालाना टर्नओवर हो, जिसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हों।

और

E. आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए भुवनेश्वर में एक सर्विस सेट अप करें।

3. सिर्फ़ वही निविदा देने वाले काम के लिए निविदा देने के लिए पात्र होंगे जो ऊपर दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। अगर कोई फर्म ऊपर दिए गए मानदंड को पूरा नहीं करती है, तो उसका निविदा रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

4. निविदा देने वालों को अपनी पात्रता पूरी करने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए बताए गए अनुसार सही फ़ाइल नाम।

i. **30 अप्रैल 2020** को या उससे पहले किए गए समान कार्य/कार्यों के संबंध में विस्तृत कार्य आदेश/ओं की प्रतियां , कार्य/कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाती हैं, पांच साल से पहले का पूर्व अनुभव स्थापित करने के लिए।

ii. **30 अप्रैल, 2025** को खत्म होने वाले एक जैसे कामों के डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी, जिसमें काम का स्कोप और वैल्यू और उसी काम के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, ताकि निविदा देने वाले ने पिछले पांच सालों में किए गए क्वालिफाइंग कामों को साबित किया जा सके।

प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा जारी किया गया क्लाइंट का सर्टिफिकेट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट के साथ भी होना चाहिए। ऊपर दिए गए सर्टिफिकेट के बिना अपलोड किए गए एप्लीकेशन/निविदा रिजेक्ट किए जा सकते हैं।

- iii. पूरे हुए कामों की लिस्ट, सभी डिटेल्स के साथ **Annexure I के फॉर्मेट में।**
- iv. निविदा देने वाले का प्रोफाइल तय फॉर्मेट में।
- v. निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- vi. जीएसटी पंजीकरण की प्रति
- vii. **अनुलग्नक IX के अनुसार**
- viii. क्वालिफाइंग कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के परफॉर्मंस के बारे में क्लाइंट सर्टिफिकेट। (फाइल का नाम जैसे: CC1, CC2 वगैरह) – अनुलग्नक II के फॉर्मेट के अनुसार।
- ix. अनुलग्नक V के अनुसार बैंकर प्रमाणपत्र
- x. पिछले 3 सालों के टर्नओवर के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी
- xi. अनुलग्नक VI के प्रारूप में
- xii. अनुलग्नक VII और VIII के अनुसार
- xiii. बताई गई चीज़ की डिटेल्स/कैटलॉग और मैनुफैक्चरर्स के नाम।

- xiv. अनुलग्नक X के अनुसार पावर ऑफ़ अटॉर्नी की कॉपी (ओरिजिनल सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की जानी है)
- xv. **सेक्शन IX** के अनुसार प्रस्तावित सिस्टम की टेक्निकल डिटेल्स
- xvi. के अनुसार दिए गए DG सेट के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) से ऑथराइज़ेशन लेटर या अनुलग्नक **XII के अनुसार दिए गए DG सेट के लिए OEM होने का डिक्लेरेशन ।**
- xvii. मूल देश की घोषणा **अनुलग्नक XIII** के अनुसार ।
- xviii.** भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट के लिए परफ़ॉर्मा **अनुलग्नक XIV** के अनुसार ।
- xix. काम को समझने के लिए **निविदा** देने वाले को साइट विज़िट करना होगा **अनुलग्नक XV** के अनुसार ।
- xx. प्रस्तावित काम से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी

नोट: - निविदा देने वाले को ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल रूप में, बैंक के मांगने पर जमा करने होंगे।

5. ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पर निविदा देने वाले को डिसक्वालिफ़ाई किया जा सकता है।

6. प्री-बिड मीटिंग : - निविदा के बारे में कुछ भी डिस्कस करने/क्लियर करने के लिए **26 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, संपदा विभाग, भुवनेश्वर में एक प्री-बिड मीटिंग होगी।** इस मीटिंग के लिए कोई अलग से कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। सभी निविदा करने वालों को मौजूद रहने की सूचना दी जाती है। क्लैरिफिकेशन निविदा में करिगेंडम के तौर पर अपलोड किए जाएंगे। निविदा करने वालों को सूचना दी जाती है कि वे अपनी बिड सबमिट करने से पहले करिगेंडम/एडेंडम, अगर कोई हो, देख लें।

7. निविदा दो हिस्सों में जमा किए जाएंगे, पार्ट I में प्री-क्वालिफिकेशन मानदंड और ऑफर की टेक्निकल और कमर्शियल डिटेल्स होंगी और पार्ट II में सिर्फ कीमतें होंगी। जो निविदा देने वाले प्री-क्वालिफिकेशन मानदंड की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, उनकी टेक्निकल और कमर्शियल डिटेल्स को इवैल्यूएशन के लिए नहीं माना जाएगा। पार्ट II की बिड सिर्फ उन्हीं निविदा देने वालों की होगी जो टेक्निकल और कमर्शियल शर्तों/डिटेल्स की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। पार्ट II के खुलने की जानकारी क्वालिफाइड निविदा देने वालों को दी जाएगी।

8. निविदा देने वालों को सूचना दी जाती है कि बिड सबमिट करने से पहले, अगर कोई सुधार/एडेंडम है, तो उसके लिए वेबसाइट चेक कर लें। तय समय के बाद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिया जाएगा।

9. निविदा देने वालों से अनुरोध है कि वे पोर्टल में बताए गए हर आइटम के लिए प्राइस बिड में बताए गए बेस रेट और GST को अलग-अलग या GST मिलाकर कोट करें। कोट किए गए रेट में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक किसी भी फर्म का निविदा स्वीकार करने का भी अधिकार रखता है।

11। बयाना राशि जमा (ईएमडी)

A. ₹18,100/- की ईएमडी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। निविदा देने वालों को सूचना दी जाती है कि वे आखिरी समय में परेशानी से बचने के लिए ईएमडी पहले ही भेज दें।

वे ट्रांज़ैक्शन नंबर (स्कैन की हुई कॉपी) के साथ राशि भेजने का प्रूफ़ esatebhubaneswar@rbi.org.in पर भेजें।

B. इसके अलावा , ईएमडी को संपदा विभाग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर में DD के रूप में भी जमा करना होगा। **जिस निविदा के साथ ऐसी ईएमडी नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।** ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल निविदा देने वाले की ईएमडी वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने पर बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी। असफल निविदा देने वालों की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट काम मिलने के बाद बिना किसी ब्याज के उन्हें जारी कर दी जाएगी। सफल बोली लगाने वाले की ईएमडी काम के वर्चुअल कंप्लीशन के बाद वापस कर दी जाएगी।

C. जिन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज (MSE) के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (उद्योग आधार मेमोरेण्डम नंबर) है, चाहे वे किसी भी कैटेगरी के हों, उन्हें बिडिंग के समय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करने की ज़रूरत से छूट दी जाएगी। एंटरप्राइज को बिड के पार्ट-1 के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (उद्योग आधार मेमोरेण्डम नंबर) अपलोड करना होगा।

12. निविदा की वैधता: - निविदा, निविदा के भाग-1 के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

13. कोट किए गए रेट में सभी टैक्स, ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, इंश्योरेंस, BOCW और BOCWWC एक्ट के तहत सेस वगैरह शामिल होंगे और ये साइट पर ठीक से इंस्टॉल और चालू किए गए पूरे काम के लिए होंगे (**बिड जमा करते समय हर आइटम के लिए GST अलग से बताया जाएगा या प्राइस बिड फॉर्मेट के अनुसार GST शामिल होगा**) । कोट किए गए प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के लिए एक जैसे रहेंगे और इन पर फॉरेन एक्सचेंज या किसी दूसरे टैक्स, लेवी, ड्यूटी वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक कोई इंपोर्ट लाइसेंस नहीं देगा। निविदा देने वालों को काम पूरा करने के लिए ज़रूरी किसी भी पार्ट या कंपोनेंट के इंपोर्ट का इंतज़ाम खुद करना होगा।

14. **कार्य समाप्ति की अवधि :-** प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करने का सम्पूर्ण कार्य कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 14 वें दिन से **60 दिनों की अवधि के अन्दर पूरा किया जाएगा।**

15. काम पूरा न होने पर हर्जाना : अगर कॉन्ट्रैक्टर निविदा में बताए गए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 0.25%, हर हफ्ते, उस समय के लिए पेमेंट करेगा, जब तक काम अधूरा रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा और एम्प्लॉयर ऐसे हर्जाने की रकम कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से काट सकता है।

16. **सर्विस सेट-अप:** निविदा देने वालों को सर्विस सेट-अप की डिटेल्स बतानी होंगी, जैसे जगह, स्टाफ की संख्या, कॉन्टैक्ट नंबर और सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, जैसा कि साथ में दिए गए **Annexure-VI** में बताया गया है।

17. **वारंटी/दोष देयता अवधि और गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध:**

- a. सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर सभी तरह के डिफेक्ट्स के लिए गारंटी होगी, जो वर्चुअल कम्प्लीशन की तारीख से **एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड** के लिए होगा। गारंटी पीरियड के अंदर सिस्टम/सब-असेंबली में कोई भी डिफेक्ट पाए जाने पर, निविदा देने वाले को बैंक को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ठीक करना/बदलना होगा। रेट में महीने के इंटरवल पर या उससे पहले सर्विसिंग/इंस्पेक्शन शामिल होना चाहिए, जैसा कि मैनुफैक्चरर ने तय किया है और इस दौरान आपसी सहमति से तय किया गया है। हालांकि, इंजन ऑयल, फिल्टर वगैरह जैसे कंज्यूमेबल्स का खर्च बैंक देगा।
- b. एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली **गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा (केवल श्रम)** के शुल्क , निविदाकर्ता द्वारा अपनी बोली में अलग से उद्धृत किए

जाएंगे। **गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध** अवधि के दौरान, रखरखाव / सर्विसिंग मासिक अंतराल पर या उससे पहले निर्माता द्वारा निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत अनुसार की जाएगी और इसे किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल के अलावा किया जाएगा। ये दरें एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से लागू होंगी। गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा शुल्क का भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने और सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सभी ब्रेकडाउन, रखरखाव और ओवरहॉलिंग भी गैर-व्यापक एएमसी के दायरे में होंगे। बैंक को खुले बाजार से सिस्टम के रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और रखरखाव / ओवरहॉलिंग करने के लिए इसे एएमसी ठेकेदार को सौंपने का अधिकार होगा।

- c. AMC में इंजन, अल्टरनेटर और कंट्रोल पैनल शामिल होने चाहिए।
- d. वारंटी पीरियड या नॉन-कॉम्प्रिहेंसिव सालाना मेंटेनेंस सर्विस पीरियड के दौरान, सिस्टम में कोई भी खराबी आने पर, सिस्टम में खराबी की जानकारी मिलने के 8 घंटे के अंदर उसे ठीक करना होगा। इसलिए, बताए गए रेट में सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च समेत सारा खर्च शामिल होगा। अगर ऊपर बताए गए समय के दौरान 8 घंटे के अंदर सिस्टम में खराबी ठीक नहीं की जाती है, तो हर दिन Rs.500/- की पेनल्टी लगेगी, जो सालाना मेंटेनेंस चार्ज का AMC ज़्यादा से ज़्यादा 100% होगा। इसके अलावा, अगर सिस्टम **10 दिनों के अंदर ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क और खर्च पर सिस्टम को ठीक करने का अधिकार होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक को सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए पेनल्टी के तौर पर बैंक गारंटी लेने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का भी अधिकार होगा।**
- e. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एक साल की वारंटी के बाद, एक साल के शुरुआती सालाना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद कम से कम 8 साल के और समय के लिए वैध होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के पहले साल के बाद 'नए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा।

$AC = AP [(15+85x(CPI_C/CPI_P))] / 100$	
A_C	चालू साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की रकम।
A_P	पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट।
CPI_C	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।
CPI_P	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।

18. टेंडर्स का मूल्यांकन:- टेंडर्स का मूल्यांकन सिस्टम की नेट ओनिंग कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिस्टम की कैपिटल कॉस्ट (A) शामिल होगी, और एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के खत्म होने के बाद 9 साल के समय के लिए नॉन-कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज (AMC) (B) के लिए कोट किए गए रेट्स के असर को ध्यान में रखा जाएगा।

NPV फैक्टर की गणना AMC के पहले वर्ष के बाद हर साल अनुबंध राशि में 5% की वृद्धि, छमाही भुगतान और 8% की छूट दर मानकर की जाएगी।

सिस्टम की नेट ओनिंग कॉस्ट = कैपिटल कॉस्ट (A) + (AMC चार्ज (B) x MF)

(MF 10 साल के लिए NPV फैक्टर है (1 साल की वारंटी + 9 साल की AMC) = **7.0476**)

19. भुगतान की शर्तें:-

पेमेंट की ये शर्तें, कानूनी कटौतियों के तहत, कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होंगी:

(a) कोट किए गए रेट की वैल्यू का पहला 60%, प्रो-राटा बेसिस पर, इक्विपमेंट/इक्विपमेंट्स की

फैक्ट्री में टेस्टिंग होने के बाद और मैनुअल कंट्रोल पैनल सहित दूसरे मटीरियल के साथ उनकी डिलीवरी होने पर और एम्प्लॉयर के ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइट पर स्वीकार किए जाने पर और नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जमा करने पर जारी किया जाएगा:

- i. कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट कि सिस्टम के सफल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग, जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, के लिए सभी कंपोनेंट, पार्ट्स, सब-सिस्टम, कंज्यूमेबल्स वगैरह साइट पर अच्छी कंडीशन में मिल गए हैं और अगर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग के दौरान कोई कमी दिखती है, तो वे बैंक को फ्री में दिए जाएंगे।
- ii. निविदा में बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करना।

- (b) इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/CPCB/इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से NOC जमा करने, पूरा सिस्टम सौंपने और **कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के 5% के बराबर बैंक गारंटी जमा करने पर, जो 5 साल और दो महीने के लिए वैध होगी** , एक फॉर्म (Annexure-IV) में जो बैंक को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और जिम्मेदारियों, गारंटी पीरियड और इक्विपमेंट के पूरे लाइफ साइकिल के लिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पूरा करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर मंजूर होगी, कोट किए गए रेट का **40%**।
- (c) PBG के अलावा, हर बिल से 5% रिटेंशन मनी काट ली जाएगी और 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रिटेंशन मनी रिलीज़ कर दी जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

20. कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (बीजी) :- DG सेट की अनुमानित लाइफ साइकिल 10 साल है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 5% शुरुआती PBG, सिस्टम के चालू होने और हैंडओवर होने की तारीख से 5 साल और दो महीने तक वैध रहेगा। इसके बाद, बैंक गारंटी अगले 5 (पांच) सालों के लिए शुरुआती वैल्यू का पचास प्रतिशत (50%) कम कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को मौजूदा BG के खत्म होने के चार हफ्ते पहले एक नया PBG जमा करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम लिमिट के अंदर नया PBG जमा नहीं कर पाता है, तो बैंक को जमा किए गए BG को वापस लेने का अधिकार होगा।

21. इंश्योरेंस:- कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर , एम्प्लॉयर और खुद के जॉइंट नाम पर, जिसमें एम्प्लॉयर पहले होगा (प्रिंसिपल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर) नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी को IRDA से अनुमोदित ऑफिस से लागू करने और मेंटेन करने का इंतज़ाम करेगा (कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक) और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान (कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक) ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा। पॉलिसी काम मिलने के 14 दिनों के अंदर जमा करनी होगी।

- a. कॉन्ट्रैक्ट की कुल रकम के लिए स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी (CAR पॉलिसी)।
- b. वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।
- c. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी की लिमिट नीचे दी गई है
 - a. किसी एक दुर्घटना या घटना से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 5 लाख रुपये, जिसकी कुल सीमा 10 लाख रुपये होगी।
 - b. किसी भी एक दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये।

22. ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले कार्य; -

जब तक निविदा डॉक्यूमेंट्स में कुछ और न बताया गया हो, नीचे दिए गए काम कॉन्ट्रैक्टर को करने होंगे और इसलिए, उनकी कॉस्ट उनकी निविदा की गई कॉस्ट में शामिल मानी जाएगी - चाहे काम के शेड्यूल में खास तौर पर बताया गया हो या नहीं:

- a) इंस्टॉलेशन के दौरान स्ट्रक्चर को हुए सभी नुकसान की भरपाई करना और उसे उसकी ओरिजिनल फिनिश में वापस लाना।
- b) इक्विपमेंट लगाने, फ्यूल लाइन और केबल के लिए फाउंडेशन ट्रेंच बनाने, दीवारों या फर्श में ओपनिंग बनाने और उन्हें उनकी ओरिजिनल कंडीशन/फिनिश में वापस लाने और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी ग्राउटिंग वगैरह के लिए छोटे-मोटे बिल्डिंग के काम ज़रूरी हैं।

- c) चिमनी, बस ट्रंकिंग (अगर कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में शामिल हो), केबल, एंटी-वाइब्रेशन पैड वगैरह के लिए सभी सपोर्ट , ज़रूरत के हिसाब से।
- d) इंजन और अल्टरनेटर, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल वायरिंग के लिए ज़रूरी सभी इलेक्ट्रिकल काम और न्यूट्रल अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग, जिसमें लूप अर्थिंग वगैरह शामिल हैं।
- e) इक्विपमेंट और पार्ट्स की सभी खुली मेटल सतहों को सही रंग से पेंट करना।
- f) दूसरी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ से, जहाँ भी ज़रूरी हो, पूरे इंस्टॉलेशन के लिए क्लियरेंस/अप्रूवल। सबूत दिखाने पर बैंक किसी भी कानूनी पेमेंट का पेमेंट करेगा।

23. निविदा का पूरा होना, प्रोग्राम जमा करना, ड्राइंग का अप्रूवल और काम शुरू करना

a) निविदा की पूर्णता

सभी अलग-अलग इक्विपमेंट, फिटिंग, असेंबली, एक्सेसरीज़, हार्डवेयर आइटम, फाउंडेशन बोल्ट, सपोर्ट, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए टर्मिनेशन लग्स, केबल ग्लैंड, जंक्शन बॉक्स और काम के अलग-अलग इक्विपमेंट और पार्ट्स की सही असेंबली और इंस्टॉलेशन के लिए दूसरी सभी अलग-अलग चीज़ें निविदा में शामिल मानी जाएंगी, भले ही उन चीज़ों का निविदा डॉक्यूमेंट्स में खास तौर पर ज़िक्र हो या नहीं।

b) योजना प्रस्तुत करना

एक्सेप्टेंस लेटर मिलने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर, सफल निविदा देने वाला इंजीनियर-इन-चार्ज को ड्राइंग जमा करने, इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन सौंपने का अपना प्रोग्राम सबमिट करेगा। यह प्रोग्राम कम से कम शटडाउन पीरियड को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।

c) ड्राइंग जमा करना:-

कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने से पहले, अप्रूवल के लिए इंजीनियर-इन-चार्ज को ड्राइंग जमा करनी होगी।

d) कार्यारम्भ:-

जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की जमा की गई ड्राइंग अप्रूव हो जाएंगी, वह काम शुरू कर देगा।

24. स्वीकृति हेतु ड्राइंग :-

कॉन्ट्रैक्टर को नीचे दिए गए ड्राइंग के तीन सेट तैयार करके जमा करने होंगे और काम शुरू होने से पहले उन्हें इंजीनियर-इन-चार्ज से अप्रूव करवाना होगा। हालांकि, ड्राइंग का अप्रूवल कॉन्ट्रैक्टर को करार के अनुसार इक्विपमेंट/मटीरियल सप्लाई न करने से नहीं रोकता, अगर अनुमोदित ड्राइंग और करार में कोई अंतर है।

- (a) कंट्रोल केबल, फ्यूज/ल्यूब ऑयल पाइप और एग्जॉस्ट पाइपिंग के लिए सपोर्ट/स्ट्रक्चर, चिमनी और बस डक्ट/केबल ट्रे सहित लगाए जाने वाले इक्विपमेंट की ड्राइंग तैयार करें।
- (b) पूरे इक्विपमेंट को बनाने की डिटेल्स दिखाने वाले सेक्शन के साथ ड्राइंग।
- (c) इंजन-अल्टरनेटर सेट से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल तक इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल से ज़रूरी LT बोर्ड तक, जिसमें अलग-अलग इलेक्ट्रिकल/कंट्रोल केबल और इक्विपमेंट के साइज़ और कैपेसिटी शामिल हैं।
- (d) अकूस्टिक एनक्लोजर/ इंजन-अल्टरनेटर सेट और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के डाइमेंशनल ड्राइंग।
- (e) पाइप, चिमनी केबल ट्रे, डक्ट वगैरह के लिए सपोर्ट की डिटेल्स दिखाने वाली ड्राइंग।
- (f) काम से जुड़ी कोई और ड्राइंग।

25. इंस्टॉलेशन पूरा होने पर दिए जाने वाले ड्राइंग/डॉक्यूमेंट्स:- विभाग को इंस्टॉलेशन सौंपते समय कॉन्ट्रैक्टर को नीचे दिए गए लैमिनेटेड ड्राइंग के तीन सेट जमा करने होंगे। एक सेट को हार्ड बेस पर लैमिनेट किया जाएगा ताकि DG सेट रूम/उस कमरे में दिखाया जा सके जहाँ कंट्रोल पैनल इंस्टॉल है। इसके अलावा, ड्राइंग सॉफ्टकॉपी के तौर पर दी जाएंगी।

- (a) DG सेट इंस्टॉलेशन ड्राइंग जिसमें सभी इक्विपमेंट की पूरी जानकारी दी गई है।

- (b) सभी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल/कंट्रोल पैनल का लाइन डायग्राम और लेआउट, जिसमें स्विचगियर रेटिंग और उनकी जगह, केबल फीडर का साइज़ और उनका लेआउट दिया गया हो।
- (c) कंट्रोल सर्किट कंट्रोल पैनल के ऑपरेशन को समझाने के लिए सभी कंट्रोल कंपोनेंट्स और ऑपरेशन्स के सीक्वेंस के साथ कंट्रोल वायरिंग ड्राइंग।
- (d) सभी इक्विपमेंट और एक्सेसरीज़ के मैनुफैक्चरर के टेक्निकल कैटलॉग ।
- (e) सभी बड़े इक्विपमेंट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल, जिसमें सभी एडजस्टमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रोसेस की डिटेल हो।

26. सिस्टम के लिए पेमेंट रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले किसी भी विवाद को भी भुवनेश्वर में मौजूद कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही सुलझाया जाएगा।

27. ट्रेनिंग: निविदा देने वाला, बैंक को बिना किसी चार्ज के सिस्टम सौंपने से पहले, बैंक के इंजीनियर्स/टेक्नीशियन्स को सिस्टम पर ट्रेनिंग देगा।

28. करार: - सफल निविदा देने वाला, लेटर ऑफ़ एक्सेप्शन मिलने के चौदह दिनों के अंदर, साथ में दिए गए अनुलग्नक V में दिए गए फ़ॉर्मेट में एक नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार करेगा । हालाँकि, बैंक द्वारा लेटर ऑफ़ एक्सेप्शन जारी करना एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जैसे कि ऐसा करार हो गया हो और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होंगी।

29. कॉन्ट्रैक्ट या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने या तोड़ने के तय होने से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। बैंक अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल सर्टिफिकेट या किसी और रूप में हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा और इसमें कोई अपील नहीं होगी, जैसा कि यहां बताया गया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी ऐसे मामले से नाखुश है जिस पर बैंक ने ऊपर बताया है, सिवाय किसी उम्मीद वाले मामले के, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस

दे सकता है जिसमें विवाद वाले मामलों पर आर्बिट्रेशन करने की मांग की गई हो। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों का ज़िक्र होगा, जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां सहमत हैं, तो इस मकसद के लिए एक ही आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। अगर सिंगल आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट पर कोई करार नहीं हो पाता है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्रिजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बड़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपस में अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या करार का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या करार के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवॉर्ड से जुड़े खर्च पर फैसला आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से उठाएगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले, सवाल आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, नहीं आ जाता, बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्टर को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

30 अधिकार क्षेत्र:- इस कॉन्ट्रैक्ट/करार से जुड़े या किसी भी तरह से पैदा होने वाले सभी विवाद भुवनेश्वर में पैदा हुए माने जाएंगे और सिर्फ़ भुवनेश्वर के कोर्ट को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।

31. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी/ग्रेच्युटी अधिनियम/ठेका श्रम अधिनियम: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों को वैधानिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी/ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए।

32. लेबर लाइसेंस: कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट 1970 के अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा, अगर वे उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लागू हों, और सभी कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना होगा।

खंड III

सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर दिए जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।

9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।
10. i) लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।

ii) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।
11. पेंटर्स को ओवरऑल्स कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के समय पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।
12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।
13. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान या सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
14. कॉन्ट्रैक्टर को कानूनी नियमों के अनुसार काम करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।
15. काम करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

खंड IV

आग से सुरक्षा

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।
4. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह को काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को बताया जाएगा और फायर ऑफिसर/पर्सनल के साइट इंस्पेक्शन के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली जगह पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।
7. फायर ऑफिसर द्वारा बताए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।
8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
9. काम की ज़रूरत के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।
10. सेफ्टी बेल्ट कॉन्ट्रैक्टर देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
14. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
15. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
16. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
17. ऑफिस के समय के बाद काम करते समय कॉन्ट्रैक्टर को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

विद्युत सुरक्षा

- i. साइट पर अलग-अलग सर्विस देने के लिए सभी टेम्पररी बिजली, जैसे कटिंग / ड्रिलिंग मशीन को सही रेटिंग वाले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ELCB) से लैस किया जाएगा।
 - ii. सिर्फ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
इस्तेमाल होने वाले बिजली के केबल/तारों की रेटिंग सही होनी चाहिए और उनमें जोड़ नहीं होने चाहिए।
अगर हैं, तो जोड़ सही और इंसुलेटेड होना चाहिए।
 - iv. सभी बिजली के उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन, वगैरह को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले फायर सेक्शन को सूचित करना होगा।
 - vi. आग बुझाने के लिए तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार, साफ सूखी रेत से भरी आग की बाल्टियाँ
आग बुझाने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा, आग लगने की जगह पर आसानी से निशान लगाकर उसे साइट पर रखा जाएगा।
 - vii. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह, जो काम की ज़रूरत के हिसाब से लागू हों, काम करने वाले लोग काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
 - viii. ज़मीन से 10 फ़ीट से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय काम करने वालों को सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा।
लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल सामान रखने के लिए नहीं किया जाएगा।
- ।
- किसी भी तरह का सामान/कचरा फेंकना।

x. जब इन्किपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन्स से पावर सप्लाय बंद कर दी जाएगी।

xi. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन, बुरादा या कोई भी कचरा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

xii. काम के दौरान काम की जगह पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए।

सभी बिजली के काम लाइसेंस वाले/अधिकृत इलेक्ट्रीशियन से ही करवाए जाने चाहिए।

वायरमैन.

xiv. अस्थायी बिजली की समस्या से बचने के लिए काम की जगह पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है

लाइट के लिए तार।

अच्छी गुणवत्ता के आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे

काम की जगह पर साफ़ जगहों पर।

xvi, एल्युमिनियम/स्टील की सीढ़ियों के आधार पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और

जहां भी ज़रूरत हो, इन सीढ़ियों को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सेफ़ रबर मैट पर रखा जाएगा।

खंड V

इसके पहले बताई गई शर्तें

1. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट करार को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

- | | |
|-----------------------|---|
| क) "नियोक्ता" | इसका मतलब होगा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर और इसमें इसके असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे। |
| ब) कंपनी के मामले में | "कॉन्ट्रैक्टर का मतलब _____ से होगा, जो _____ के तहत शामिल कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे। |
| ग) "साइट" | इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनाया गया सामान और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए दी है। |
| द) "यह अनुबंध" | इसका मतलब होगा करार का आर्टिकल, खास शर्तें, शर्तें, अपेंडिक्स, मात्राओं का शेड्यूल और इसके साथ जुड़े और सही तरह से साइन किए गए स्पेसिफिकेशन। |

ई) "लिखित सूचना"

इसका मतलब है लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ या "लिखा हुआ नोटिस" जो (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो, वरना यह साबित हो गया हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से पता पाने वाले के आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते या रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा गया हो और उसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब आम तौर पर पोस्ट के ज़रिए उसे डिलीवर किया जाता।

च) "दिवालियापन अधिनियम"

इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे ओरिजिनल एक्ट में बदलाव करने वाले किसी एक्ट के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट से होगा।

छ) "शुद्ध मूल्य"

अगर कॉन्ट्रैक्ट की रकम तय करने में कॉन्ट्रैक्टर ने निविदा में मौजूद चीज़ों के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह परसेंटेज के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो उनके निविदा में किसी भी चीज़ की नेट कीमत, निविदा में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़ों में उसी तरह का परसेंटेज या उसी हिसाब से रकम जोड़कर या घटाकर तय की गई रकम होगी। बशर्ते कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का परसेंटेज या हिस्सा तय करते समय, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को निविदा की कुल रकम में से घटाया जाएगा। "नेट रेट्स" या "नेट प्राइसेस" शब्द का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंट के बारे में करने पर, इसका मतलब इस तरह तय की गई रेट्स या कीमतें ही माना जाएगा।

h) "काम"

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ कार्टर्स **बरमुंडा** (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

2. **कॉन्ट्रैक्ट का दायरा**: कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के हिसाब से हर तरह से काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपनी मर्जी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

- a) किसी काम के डिज़ाइन, क्वालिटी या काम में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।
- b) ड्राइंग में या क्वांटिटी के शेड्यूल और/या ड्राइंग और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।
- c) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।
- d) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
- e) वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।
- f) किसी भी छिपे हुए काम के इंस्पेक्शन के लिए रास्ता खुलना।
- g) इसके क्लॉज़ 20 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

कॉन्ट्रैक्टर को बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधि को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में एम्प्लॉयर के निर्देश माना जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टर को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिफ़िकेशन जमा करना होगा जिसमें क्वांटिटी और रेट्स दिए गए हों, और साथ में रेट्स, वाउचर्स वगैरह का एनालिसिस भी हो। एम्प्लॉयर द्वारा स्कूटनी और फ़ाइनल मंजूरी

के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। एम्प्लॉयर इन वेरिएशन्स के पेमेंट के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह इन स्टेटमेंट्स को मंजूरी नहीं दे देता।

3. कॉन्ट्रैक्ट तीन कॉपी में पूरा किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर को अपने इस्तेमाल के लिए एक-एक कॉपी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए साइट का लाइन डायग्राम, सिस्टम कॉन्फिगरेशन ड्राइंग और ले-आउट प्लान तैयार करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट जारी करने से पहले, उसे बैंक के इंजीनियर को सभी ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन जमा करने होंगे।
4. कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, जो ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से होंगी, चाहे वे उनमें खास तौर पर दिखाए या बताए गए हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा, जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।
5. अथॉरिटी, नोटिस और पेटेंट: कॉन्ट्रैक्टर को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न, और किसी भी अथॉरिटी, और किसी भी पानी, बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटी के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रपोज़ल है, और ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने की वजह से ज़रूरी हो सकता है, आर्किटेक्ट को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने की वजह बताई जाएगी और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को दस दिन के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से क्लॉज़ 17 के तहत निपटा जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने वाले एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत ज़रूरी हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस

को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी और रसीदें एम्प्लॉयर के पास जमा करनी होंगी।

कॉन्ट्रैक्टर, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा, और ऐसे दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा और खुद सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, डैमेज कॉस्ट और सभी तरह के चार्ज का पेमेंट करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।

6. **काम शुरू करना**: कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट के सही होने के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर काम के दौरान या काम पूरा होने के एक साल के अंदर इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो कॉन्ट्रैक्टर, अगर ज़रूरी हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर उस गलती को ठीक करेगा।
7. **मटेरियल और कारीगरी जानकारी के मुताबिक होनी चाहिए**: सभी मटेरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, क्वांटिटी के शेड्यूल और/या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को सभी इनवॉइस, अकाउंट, रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटेरियल उसके मुताबिक हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर किसी भी मटेरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।
8. **काम पर कॉन्ट्रैक्टर का सुपरिटेण्डेंस और रिप्रेजेंटेटिव**: कॉन्ट्रैक्टर काम के दौरान और उसके बाद जब तक एम्प्लॉयर ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिटेण्डेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड" खत्म न हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर, काम चलने के पूरे समय के दौरान एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव को भी रखेगा जो काम पर लगातार मौजूद रहेगा जब तक लोग काम कर रहे हों। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए माने जाएंगे।

9. **कार्मिकों को निकालना**: कॉन्ट्रैक्टर, बैंक के इंजीनियर के कहने पर, काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या जिसने गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को बैंक के इंजीनियर की इजाज़त के बिना काम पर दोबारा नहीं रखा जाएगा।
10. **काम पर जाने की इजाज़त**: एम्प्लॉयर को हर सही समय पर काम और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर जाने की आज़ादी होगी, जहाँ सामान रखा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को सामान और काम के इंस्पेक्शन, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधियों को छोड़कर, एम्प्लॉयर द्वारा ऑथराइज़्ड न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
11. **बैंक इंजीनियर**: बैंक इंजीनियर का मतलब है वह व्यक्ति जिसे एम्प्लॉयर कामों की जांच करने के लिए अपॉइंट करता है और राशि देता है। कॉन्ट्रैक्टर बैंक इंजीनियर को कामों और मटीरियल की जांच करने और समय और मटीरियल की जांच और माप के लिए हर सुविधा और मदद देगा।
- बैंक के इंजीनियर, या एम्प्लॉयर के पास कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधि को किसी काम या मटीरियल के अप्रूवल न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे काम को रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। काम की समय-समय पर असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को काम के किसी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई गई किसी भी कमी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी। इस क्लॉज़ की सीमाओं के तहत कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।
12. **असाइनमेंट और सबलेटिंग**: कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना कॉन्ट्रैक्ट या उसके किसी हिस्से या उसमें किसी हिस्से को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर, असाइन या अंडरलेट नहीं करेगा और ऐसा न करने पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी और संपूर्ण ज़िम्मेदारी से या काम के दौरान काम की एक्टिव निगरानी से हटा दिया जाएगा।

13. कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर बैंक के इंजीनियर को काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव करना, उसमें कुछ जोड़ना या उसमें से कुछ हटाना या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी में कोई बदलाव करना सही लगता है और वह कॉन्ट्रैक्टर को अपने हाथ से लिखकर इसकी सूचना देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी हो, बदलाव करेगा, उसमें कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ हटाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखित सहमति के बिना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, न ही काम में कोई बदलाव करेगा, कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ हटाएगा या कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी नियम से कोई बदलाव करेगा। ऐसे एक्स्ट्रा बदलावों, कुछ जोड़ने या उसमें से कुछ हटाने की कीमत, सभी मामलों में, एम्प्लॉयर द्वारा क्लॉज़ 17 के नियमों के अनुसार तय की जाएगी, और उसे, जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा।

14. **मात्राओं की अनुसूची** : मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

जानकारी या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम का छूट जाना इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब नहीं करेगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और उसकी कीमत, जैसा कि क्लॉज़ 17 के तहत पता लगाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक करने की इजाज़त कॉन्ट्रैक्टर के रेट के शेड्यूल में नहीं दी जाएगी।

15. **मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता** : ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जिन दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसकी सभी बाध्यताओं और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल किया जाएगा।

16. **काम का माप**: बैंक का इंजीनियर समय-समय पर कॉन्ट्रैक्टर को बता सकता है कि उसे काम का माप चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर तुरंत जाएगा या असिस्टेंट इंजीनियर की मदद के लिए एक काबिल एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी के लिए भी ज़रूरी सभी मदद दी जा सके।

अगर कॉन्ट्रैक्टर काम पर नहीं आता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा मंजूर किए गए व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही काम का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

कॉन्ट्रैक्टर या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय, ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

सभी ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा काम, कमियां और एम्प्लॉयर की पहले से लिखकर मंजूरी लेकर किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किए जाएंगे।

17. **एक्स्ट्रा के लिए कीमतें**: कॉन्ट्रैक्टर, जब एम्प्लॉयर द्वारा ऑथराइज़्ड हो और लिखित में निर्देश दिया जाए, तो ड्रॉइंग में दिखाए गए या स्पेसिफिकेशन में बताए गए या क्वांटिटी के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, हटा सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, हटाएगा या उसमें बदलाव नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा दिया गया कोई जुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वे सात दिनों के अंदर लिखित में कन्फर्म करते हैं, तो उसे लिखित में दिया गया माना जाएगा।

किसी एक्स्ट्रा के लिए कोई क्लेम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊपर दिए गए क्लॉज़ के प्रोविज़न के तहत, यहाँ बताए गए एम्प्लॉयर की सहमति से पूरा न किया गया हो। यहाँ बताए गए किसी भी एक्स्ट्रा को ऑथराइज़्ड माना जाएगा और वह नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

- (a) (i) ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट रेट या कीमत से एक्स्ट्रा काम की वैल्यू तय होगी, जहाँ ऐसा एक्स्ट्रा काम उसी तरह का हो और उसमें दिए गए काम जैसी शर्तों के तहत किया गया हो।
- (ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।
- (b) ओरिजिनल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, लेकिन अगर किसी चूक से उन हालात में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।
- (c) जहाँ एक्स्ट्रा काम पहले बताई गई शर्तों के हिसाब से एक जैसे नहीं हैं और/या एक जैसी शर्तों के तहत कोट नहीं किए गए हैं या जहाँ चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, क्वांटिटी के प्राइस शेड्यूल या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल है या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू नहीं होता है, तो बैंक का इंजीनियर एम्प्लॉयर की पहले से लिखित मंजूरी लेकर, ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।
- (d) जहाँ एक्स्ट्रा काम को ठीक से मापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को निविदा या प्राइस शेड्यूल या क्वांटिटी में बताए गए नेट रेट के हिसाब से दिन के काम की कीमतें दी जाएंगी, या अगर ऐसा नहीं बताया गया है, तो जिले के लोकल दिन के काम की दरों और मज़दूरी के हिसाब से, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, रोज़ का समय (काम करने वालों के नाम) और इस्तेमाल किए गए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में माप और वैल्यूएशन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा होने के छह महीने के अंदर, जैसा कि क्लॉज़ 21 में बताया गया है।

18. अनफिक्स्ड मटीरियल को एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी माना जाता है

जहां किसी सर्टिफिकेट में (जिसका कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिल गया है) बैंक के इंजीनियर ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी बन जाएगा और एम्प्लॉयर की लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा।

19. **गलत काम को हटाना**: काम के दौरान, एम्प्लॉयर को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि वह ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से कोई भी ऐसा सामान हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से नहीं है, सही सामान बदले, और ऐसे किसी भी काम को हटाकर ठीक से दोबारा करे जो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के हिसाब से नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर तुरंत अपने खर्च पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो एम्प्लॉयर के पास इसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को काम पर रखने का अधिकार होगा; और इसके बाद होने वाले या उससे जुड़े सभी खर्च कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

20. **काम पूरा होने के बाद कमियां**: कोई भी कमी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी गलती जो अपेंडिक्स में बताए गए "डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड" के अंदर हो, या, अगर काम असल में पूरा होने के बारह महीने के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, जो एम्प्लॉयर की राय में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम न करने वाले मटीरियल से हुई हो, एम्प्लॉयर के लिखकर दिए गए निर्देश पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर उसे ठीक करेगा और डिफॉल्ट होने पर एम्प्लॉयर ऐसे कमियों,

सिकुड़न जमाव या दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें राशि दे सकता है, और इसके कारण होने वाले सभी नुकसान और खर्च जो उससे जुड़े हैं, उन्हें एम्प्लॉयर ठीक करेगा और वहन करेगा या बैंक के इंजीनियर के लिखकर दिए गए सर्टिफिकेट पर, कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से काट सकता है, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से उतनी रकम काट सकता है, जितनी एम्प्लॉयर तय करेगा। ऐसे काम को बदलने का खर्च और अगर क्लॉज़ 32 के तहत रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम कॉन्ट्रैक्टर से वसूल की जाएगी, साथ ही एम्प्लॉयर ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी वसूला जाएगा। अगर क्लॉज़ 12 और 22 के तहत नॉमिनेटेड किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर ने कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि ऐसा काम या सामान कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो या सप्लाई किया हो और इस क्लॉज़ 2 के नियम के तहत हो। कॉन्ट्रैक्टर इस क्लॉज़ के नियमों के तहत एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।

21. **वर्चुअल कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट और डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड:** काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक बैंक का इंजीनियर लिखकर यह प्रमाणित न कर दे कि वे वर्चुअली पूरे हो गए हैं। डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड ऐसे सर्टिफिकेट की तारीख से शुरू होगा।
22. **मनोनीत उप-ठेकेदार:** सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग जो किसी माल की आपूर्ति तथा मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा मनोनीत या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां मनोनीत उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर को काम पर या उसके संबंध में काम पर नहीं रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई सही आपत्ति नहीं होगी (सिवाय इसके कि आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर किसी और तरह से सहमत हों) जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा।

- (a) नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर, सब-कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर को उसी ज़िम्मेदारी से हर्जाना देगा, जो कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में है।
- (b) नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर, सब-कॉन्ट्रैक्टर, उसके नौकरों या एजेंटों की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर को हर्जाना देगा।
- (c) एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट मिलने के चौदह दिनों के अंदर नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाएगा, बशर्ते कोई भी सर्टिफिकेट जारी होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर, अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रूफ देगा कि पिछले सर्टिफिकेट में शामिल सभी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हैं; ऐसा न करने पर एम्प्लॉयर बैंक के सर्टिफिकेट पर पेमेंट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली किसी भी रकम में से वह रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से एम्प्लॉयर और सब-कॉन्ट्रैक्टर के बीच कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।

23. **एम्प्लॉयर द्वारा काम पर रखे गए दूसरे लोग :** एम्प्लॉयर के पास यह अधिकार है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए जगह और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे वह दूसरे लोगों से करवाना चाहता है, और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन एम्प्लॉयर के साथ खास इंतज़ाम के अलावा ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

24. **लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस :** कॉन्ट्रैक्टर लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो उसके या किसी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर या दोनों में से किसी के भी कर्मचारी के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से जुड़े किसी भी दूसरे क्लॉज़ से हुआ हो। इस क्लॉज़ में, दूसरी बातों के साथ-साथ, आस-पास

की बिल्डिंग्स को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह किसी और वजह से हुआ हो, और सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाली बिल्डिंग्स और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुआ नुकसान शामिल माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी खर्चों के लिए उसे नुकसान से बचाएगा, साथ ही किसी लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी क्लेम के संबंध में या ऐसे क्लेम के परिणामस्वरूप किसी भी अवॉर्ड या कंपनसेशन या नुकसान के संबंध में भी।

कॉन्ट्रैक्टर इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम हर तरह से पूरा और परफेक्ट हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके।

कॉन्ट्रैक्टर को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी जिसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर हो, ताकि इंसान की जान (जो कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े नहीं हैं) को होने वाले नुकसान/विकलांगता को कवर किया जा सके। इसमें साइट पर कॉन्ट्रैक्ट के काम के कंस्ट्रक्शन/इरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान दूसरों के सामान/इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान का रिस्क भी कवर होगा, जिसमें अगर कोई बैंक हो, तो वे भी शामिल हैं। इंसान की जान के नुकसान या पूरी/आंशिक विकलांगता के लिए मुआवज़े के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी की वैल्यू, पूरी और आंशिक विकलांगता के लिए ज़रूरी कानूनी वैल्यू के बराबर होगी और फिर भी इसमें कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े को कवर किया जाएगा। दूसरों के इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंज़ूर किया गया होगा। कॉन्ट्रैक्टर के सब-कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी में होल्डर या बेनिफिशियरी नहीं होंगे और न ही उनका नाम पॉलिसी में होगा। बैंक कॉन्ट्रैक्टर के साथ पॉलिसी का प्रिंसिपल होल्डर होगा। पॉलिसी असाइन करने का एक्सक्लूसिव अधिकार बैंक के पास है।

कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से बचाएगा जो एम्प्लॉयर के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह आम आदमी हो या कोई और थर्ड पार्टी, काम के संबंध में या उसके नतीजों में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए। और अपने खर्च पर, कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक, एक अनुमोदित ऑफिस में

एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। कॉन्ट्रैक्टर भी इसी तरह, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से बचाएगा जो एम्प्लॉयर पर किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत हो या इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान लागू किसी और स्टेटस के तहत हो या कॉन्ट्रैक्टर के किसी कर्मचारी या किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर के संबंध में कॉमन लॉ के तहत हो। और अपने खर्च पर, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए लागू करेगा और बनाए रखेगा और कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

कॉन्ट्रैक्टर ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से होने वाली किसी भी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या लागत के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना भी देगा और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए भी हर्जाना देगा।

एम्प्लॉयर को किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और खर्च की रकम, जो ऐसे किसी भी दावे या नुकसान से हुई हो, कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली या मिलने वाली किसी भी या सभी रकम में से काटने का अधिकार होगा, इससे एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

25. **इंश्योरेंस**: कॉन्ट्रैक्टर 14 दिनों के अंदर अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराएगा और काम के लगभग पूरा होने तक उसे आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ़, **एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम से एक ऑफिस (पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्टर का नाम पहले रखा जाएगा) में कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए इंश्योर्ड रखेगा।** ऐसी पॉलिसी सिर्फ़ "एम्प्लॉयर" की प्रॉपर्टी को कवर करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर काम का इंश्योरेंस कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि से काट सकता है, बिना इस तरह की गलती के संबंध में एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले।

अगर काम को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही पॉलिसी के तहत क्लेम सेटल हो जाता है, या इंश्योरेंस ऑफिस द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया जाता है, अगर वे ऐसा करना चुनते हैं, तो काम को उसी तरह पूरा करने के लिए पूरी सावधानी बरतें जैसे आग नहीं लगी हो और सभी मामलों में कॉन्ट्रैक्ट की उन्हीं शर्तों के तहत। आग लगने के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए जितना सही लगे, उतना समय बढ़ाने का हक होगा।

26. **काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख** : कॉन्ट्रैक्टर को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तारीख" पर या एम्प्लॉयर द्वारा बताई गई हर बाद की तारीख पर साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे पूरा करेगा (पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर, जिसमें बैंक देरी करना चाहे) या अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" से पहले, लेकिन बाद में समय बढ़ाने के नियमों के तहत।
27. **पूरा न होने पर हर्जाना** : अगर कॉन्ट्रैक्टर अपेंडिक्स में बताई गई तारीख तक या क्लॉज़ 26 और 20 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को अपेंडिक्स में बताई गई रकम "लिक्विडेटेड डैमेज" के तौर पर उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से ऐसे हर्जाने की रकम काट सकता है।
28. **देरी और समय का विस्तार** : यदि नियोक्ता की राय में काम में देरी हो रही है (ए) अपरिहार्य कारण से या (बी) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या सी) ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (डी) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या कारीगरों के काम या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ई) खंड 17 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (एफ) नागरिक उपद्रव, कामगारों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन निर्माण व्यापार को प्रभावित कर रहा हो या (जी) ठेकेदार को बैंक से उचित समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित में आवेदन किया हो या (एच) अन्य कारणों से काम पूरा करने के

लिए सही समय बढ़ाने की जानकारी बैंक को लिखकर दी जाएगी, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्टर देरी रोकने की लगातार कोशिश करेगा और काम आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो।

29. **कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉयर के निर्देश न मानना** : अगर एम्प्लॉयर से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें 10 दिनों के अंदर पालन करने की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्टर आगे की ड्राइंग और/या बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें राशि दे सकता है, जो इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी राशि में से काट सकता है।

30. **एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना** : अगर कॉन्ट्रैक्टर, जो एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का काम" करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो उसके खिलाफ कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा या वह अपनी मर्जी से या कोर्ट की देखरेख में वाइंडिंग अप के लिए एक असरदार प्रस्ताव पास करेगा और ऐसे दिवालियापन या वाइंडिंग अप के कामों में, जैसा भी मामला हो, ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर, उसे नोटिस देने के सात दिनों के अंदर यह नहीं दिखा पाएगा कि वह आर्किटेक्ट को यह दिखाने के लिए राज़ी है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सक्षम है और अगर आर्किटेक्ट ऐसा चाहता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी दे सकता है।

या अगर कॉन्ट्रैक्टर (चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पहली कंपनी हो या कंपनी बन गई हो) के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस जारी किया जाएगा।

या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी पेमेंट को कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने दिया जाएगा।

या एम्प्लॉयर की लिखित सहमति के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट पर दे देगा, जो पहले ली और ली गई थी।

या इस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को इसके तहत मिलने वाले किसी भी पेमेंट पर चार्ज या बोझ नहीं डालेगा।

- (i) कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, या
- (ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या इन हालात में बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से नोटिस मिलने के बाद चौदह दिनों के लिए काम रोक दिया है, या
- (iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
- (iv) बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद कि उक्त सामग्री या काम को बैंक के इंजीनियर ने इन शर्तों के तहत खारिज कर दिया है, सात दिनों तक साइट से सामान हटाने या काम को गिराने और बदलने में नाकाम रहा है' या
- (v) कॉन्ट्रैक्ट के तहत बताए गए किसी भी काम, बात या चीज़ को सात दिनों तक लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है या लगातार नहीं किया गया है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर नोटिस नहीं दिया गया होगा कि वह उनका पालन करे या उन्हें पूरा करे।

फिर और ऐसे किसी भी मामले में, एम्प्लॉयर, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकता है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तय नहीं किया गया हो, और अगर बाद में किए गए काम कॉन्ट्रैक्टर ने या उसकी ओर से किए गए हों। और इसके अलावा, एम्प्लॉयर अपने एजेंट के ज़रिए काम में प्रवेश कर और सभी प्लांट, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, स्टीम और परिसर या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सामान को अपने कब्जे में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह से ऐसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने

और फिनिशिंग के लिए काम पर रखने या सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक कॉन्ट्रैक्टर को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद एम्प्लॉयर यह पता लगाएगा और लिखकर प्रमाणित करेगा कि इस तरह लिए गए प्लांट और सामान में से कितना एम्प्लॉयर के कब्जे में है और काम पूरा करने में एम्प्लॉयर को क्या खर्च या नुकसान हुआ है और अगर कोई रकम कॉन्ट्रैक्टर पर बकाया है और जो रकम इस तरह प्रमाणित की जाएगी, वह एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को, जैसा भी हो, दी जाएगी, और बैंक का सर्टिफिकेट पार्टियों के बीच आखिरी और पक्का होगा।

31. **ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के तीस दिन बाद तक भुगतान नहीं किया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी अदालत के किसी आदेश या अन्य आदेश के तहत काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और किसी भी मामले में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से, किए गए सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या अनुबंध के लिए आपूर्ति या खरीदे या तैयार किए गए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे पेमेंट की रकम तय करने में कॉन्ट्रैक्टर के ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट रेट को फॉलो किया जाएगा या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. **सर्टिफिकेट और पेमेंट**: कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम सर्टिफिकेट के तहत किशतों में पेमेंट करेगा। यह पेमेंट अपेंडिक्स में 'इंटरिम सर्टिफिकेट के लिए काम की वैल्यू' के तौर पर बताई गई लगभग वैल्यू के बराबर होगा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किया गया है। हालांकि, इस वैल्यू का परसेंटेज अपेंडिक्स में "टोटल रिटेंशन मनी" के तौर पर रखा जाएगा, जिसके बाद किशतें बाद में किए गए और बिलडिंग में लगाए गए काम की पूरी वैल्यू तक होंगी। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के अनुसार अपेंडिक्स में "वर्चुअल कंप्लीशन के बाद किशत" के तौर पर बताई गई रकम का पेमेंट करेगा, जो उस टोटल रिटेंशन मनी का हिस्सा होगा। और कॉन्ट्रैक्टर, काम के लगभग पूरा होने की तारीख से, या उस समय के खत्म होने के तुरंत बाद, जब काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और सभी डिफेक्ट्स को इसके असली इरादे और मतलब के हिसाब से ठीक कर दिया जाएगा, जो भी आखिरी होगा, कॉन्ट्रैक्टर को क्लॉज़ 21 और 36 के तहत उसकी लायबिलिटी से छूट नहीं मिलेगी और न ही काम या मटीरियल से जुड़े फ्रॉड, बेईमानी, या धोखे से छिपाने के मामलों में या सर्टिफिकेट में बताए गए किसी भी मामले में कॉन्ट्रैक्टर को उसकी नाकाबिलियत से छूट मिलेगी और काम या मटीरियल में उन सभी डिफेक्ट्स और कमियों के मामले में जो एक सही जांच से पता नहीं चल पातीं।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा एम्प्लॉयर की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर के पास कोई भी सर्टिफिकेट रोकने का अधिकार होगा।

33. **देरी से पेमेंट**: अगर एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दी जाने वाली कोई भी रकम, अपेंडिक्स में दिए गए 'सर्टिफिकेट जारी करने के समय' के अंदर नहीं दी जाती है, तो उस पर अपेंडिक्स में बताई गई "देरी से पेमेंट के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा, उस तारीख से जब एम्प्लॉयर को रकम देनी थी, पेमेंट होने तक।

34. क्लॉज़ 2(a,b), 4,5, 14, 20 (a,b,c,d और f) के तहत सभी या किसी भी मामले के बारे में फ़ैसला, राय, निर्देश सर्टिफिकेट (पेमेंट को छोड़कर) (जिन मामलों को यहां छूट वाले मामले कहा गया है) आखिरी और पक्का होगा और पार्टियों पर लागू होगा और इसके खिलाफ़ कोई अपील नहीं होगी।

कोई भी दूसरा फैसला, राय, निर्देश, सभी मामलों में (रेफरेंस खोलने के नियमों सहित) क्लॉज़ 35 के तहत आर्बिट्रेशन और रिव्यू के अधिकार के अधीन होगा।

35. **आर्बिट्रेशन से झगड़ों का निपटारा** : कॉन्ट्रैक्ट या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी विवाद और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने या तोड़ने के तय होने से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उनका निपटारा करेगा। बैंक अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल सर्टिफिकेट या किसी और रूप में हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा और क्लॉज़ 33 में बताए अनुसार उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी ऐसे मामले से नाखुश है जिस पर बैंक ने ऊपर बताए गए तरीके से फैसला लिया है, सिवाय किसी उम्मीद वाले मामले के, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि विवादित मामलों पर आर्बिट्रेशन किया जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां सहमत हैं, तो इस मकसद के लिए एक ही आर्बिट्रटर नियुक्त किया जाएगा। अगर सिंगल आर्बिट्रटर के अपॉइंटमेंट पर कोई करार नहीं हो पाता है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रटर या अंपायर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

आर्बिट्रटर या आर्बिट्रटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्रिजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रटर या आर्बिट्रटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बढ़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपस में अपने विवाद या मतभेद को सुलझा

लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या करार का जॉइंट मेमोरेण्डम फाइल करने पर, आर्बिटर या आर्बिटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या करार के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवॉर्ड से जुड़े खर्च पर फैसला आर्बिटर या आर्बिटर्स के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से उठाएगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिटर या आर्बिटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले, सवाल या विवाद के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिटर या आर्बिटर्स का फैसला, जैसा भी हो, नहीं आ जाता, बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिटर या आर्बिटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्टर को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

36. एम्प्लॉयर को काम की टेक्निकल जांच करने और कॉन्ट्रैक्टर के फाइनल बिल, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हैं, की जांच करने का अधिकार होगा, जो फाइनल बिल के पेमेंट के समय बनाए जाएंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से कोई रकम ज़्यादा पेमेंट की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो एम्प्लॉयर के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए मुआवज़े को कवर करने का हकदार है

37. अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियमों, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इससे उस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर को सिक्योरिटी डिपॉज़िट या उसकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी रकम में से ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा काटकर वसूलने की आज्ञा दी होगी। एम्प्लॉयर उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय कॉन्ट्रैक्टर के लिखकर अनुरोध करने और एम्प्लॉयर को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए एम्प्लॉयर ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

कार्यों का परित्याग

38. अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, एम्प्लॉयर किसी भी वजह से पूरा काम या उसका कोई हिस्सा नहीं करवाना चाहता है, तो बैंक कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर नोटिस देगा। कॉन्ट्रैक्टर का पूरा काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और तरह के पेमेंट का कोई दावा नहीं होगा।

अधिशेष सामग्री की वापसी

39. इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित विपरीत किसी भी चीज के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित

की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में भुगतान की गई अन्य ऐसी लेवी सहित इसकी खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट और/या आपराधिक विश्वासघात की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता को सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण हुए थे।

कॉन्ट्रैक्टर या व्यक्ति की मौत होने पर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार

40. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर कॉन्ट्रैक्टर, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41. अप्रकटीकरण खंड:-

कॉन्ट्रैक्टर सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस करार के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- a) कॉन्ट्रैक्टर "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने फाइल की जाएगी।
- b) सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।
- c) अगर घटना में कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी राशि के मुआवज़े के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी राशि की राहत।
- d) कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- e) कॉन्ट्रैक्टर को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी ।

खंड VI

विशेष शर्तें

- 1) काम करने वालों को परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी।
- 2) काम के लिए ज़रूरी बिजली भी साइट पर मौजूद सप्लाय से मुफ्त में ली जा सकती है।
- 3) अगर लोकल बॉडी से कोई परमिशन चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को लेनी होगी।
- 4) निविदा देने वाला व्यक्ति निविदा ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी बैंक के किसी भी वर्किंग डे पर विभाग से ले सकता है।
- 5) निविदा देने वाला कृपया ध्यान दें कि काम दिन में या बैंक के निर्देशों के अनुसार करना होगा। इसलिए, पूरा काम ऑफिस/कॉलोनी के स्टाफ/रहने वालों को कम से कम परेशानी के साथ किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को रोज़ाना सफाई भी करनी होगी।
- 6) दीवार/स्लैब/कॉलम को सिर्फ़ चेज़ कटर से ही काटा जाना चाहिए
- 7) काम के लिए सारा सामान सीढ़ियों से वर्किंग एरिया में लाया जाएगा और सामान उठाने के लिए कोई फ्रेट लिफ्ट नहीं होगी।
- 8) ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले कचरे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार बार-बार साफ़ किया जाएगा।

9) सभी तोड़ने का काम और शोर करने वाले काम दिन और छुट्टियों के दिनों में किए जाएंगे और दिन के समय काम सीमित घंटों में करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को शाम और रात के समय सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कॉन्ट्रैक्टर को रेट बताते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखना होगा।

10) निविदा देने वाले को साइट पर (बैंक की जगह से) जमा हुआ सारा मलबा रोज़ाना हटाना होगा।

11) मज़दूरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों और रास्तों की बैंक के इंजीनियरों की पूरी संतुष्टि के अनुसार ठीक से सफ़ाई की जाएगी।

12) कॉन्ट्रैक्टर काम करते समय एक क्वालिफाइड सुपरवाइज़र को रखेगा। साइट पर कोई भी काम बिना सुपरवाइज़र तरीके से नहीं किया जाएगा।

13) निविदा देने वाला सिर्फ़ मंज़ूर ब्रांड का सामान इस्तेमाल करेगा।

भाग VII
इसमें संदर्भित परिशिष्ट

1.	दोष दायित्व अवधि	वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तारीख से बारह महीने
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग से 1 महीना
3.	प्रारंभण की तिथि	वर्क ऑर्डर जारी करने की तारीख से 14 ^{वें} दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तारीख।
5.	परिसमापन हर्जाना	तय समय से ज़्यादा देरी होने पर हर हफ़्ते कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 0.25% का लिक्विडेटेड डैमेज लगाया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
6.	अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्यों का मूल्य	5 लाख रुपये
7.	अवधारण प्रतिशत	हर बिल से 5% (RA और फ़ाइनल बिल)
8.	वर्चुअल कंप्लीशन के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की किस्त	RM को SD के तौर पर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद जारी किया जाएगा, बशर्ते बताई गई कमियों (अगर कोई हो) को ठीक से ठीक कर दिया जाए।
9.	प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
10.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बशर्ते कॉन्ट्रैक्टर का जमा किया गया बिल सही पाया जाए। जहां ब्याज देना है, वहां ब्याज दर प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर होगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

भाग VIII

(ए) 50 केवीए डीजी सेट के लिए तकनीकी विनिर्देश डीजी सेट रेटिंग:

415 वोल्ट, तीन फेज़, 50 KVA प्राइम रेटेड, 1500 RPM, इनबिल्ट वाटर-कूल्ड रेडिएटर DG सेट के साथ मैनुअल कंट्रोल पैनल , अकूस्टिक एनक्लोजर, कंट्रोल केबल, पावर केबलिंग का टर्मिनेशन, बैटरी, बैटरी चार्जर और उससे जुड़े एक्सेसरीज़ वगैरह।

1.0 डीजल इंजन एक्सेसरीज इंजन के रूप में

- a) डीज़ल इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले होंगे, जिनका रेडिएटर कूल्ड होगा। ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने की क्षमता के लिए ऑप्टिमाइज़्ड टर्बोचार्जर, 1500 RPM की नॉमिनल स्पीड पर काम करता है, ISO 3046 / ISO 8528 / IS 1460 / BS 5514 के हिसाब से है और 100% लोड पर 65 BHP से कम पावर नहीं दे सकता , जिसमें फैन पावर शामिल है और 50 KVA अल्टरनेटर से जुड़ा है।
- b) इंजन मौजूदा एमिशन नॉर्म्स यानी CPCB-IV+ को पूरा करेगा।
- c) इंजन फिटिंग में ये चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी: -
 - i) फ्लेक्सिबल कपलिंग / क्लोज कपल्ड अल्टरनेटर और फ्लार्इक्वील।
 - ii) ड्राई टाइप एयर फिल्टर जिसमें क्लॉग्ड कंडीशन इंडिकेटर हो (फिल्टर मेंटेनेंस के लिए आसानी से पहुंचने लायक होना चाहिए)।
 - iii) कॉमन स्किड बेस फ्रेम में रेडिएटर लगा है और इंजन DG सेट को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के माहौल में 10% ओवरलोड पर चलाने के लिए सही है , जिससे अकूस्टिक दरवाज़े बंद रहते हैं।
 - iv) इंजन से चलने वाला फ्यूल पंप।
 - v) इंजन से चलने वाला कूलेंट पंप।

- vi) इंजन से चलने वाला लुब्रिकेंट, ल्यूब ऑयल पंप, ऑयल कूलर और फिल्टर।
 - vii) रेजिडेंशियल ग्रेड वाले साइलेंसर ।
 - viii) 12V/24V DC स्टार्टर और बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर।
- ix) माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम जो ऑपरेटर को DG सेट से मैनुअली कनेक्ट करने और रिमोट स्टार्ट/स्टॉप कंट्रोल और शट डाउन फॉल्ट इंडिकेशन देने में सक्षम हो, इलेक्ट्रॉनिक LCD टाइप का होगा जिसमें इंजन और अल्टरनेटर पैरामीटर्स दिखेंगे, जो RS485 के ज़रिए BMS इंटीग्रेशन के लिए कम्पैटिबल होगा।
- x) फ्यूल की खपत नीचे दी गई जानकारी के अनुसार होनी चाहिए: -
- * **100% लोड = 13.5 लीटर प्रति घंटे से कम।**
 - * **75% लोड = 10.5 लीटर प्रति घंटे से कम।**
- "निविदा टेक्निकल बिड में ऊपर बताए गए लोड पर फ्यूल की खपत का ज़िक्र कर सकते हैं टेक्निकल कम्प्लायंस (सेक्शन-VIII)।"**
- xi) CPCB-IV+ के हिसाब से डेली फ्यूल सर्विस टैंक, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 150 लीटर हो या OEM स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, लेकिन यह फुल लोड पर कम से कम 8 घंटे तक चलना चाहिए (स्टैंडर्ड इंटीग्रल टैंक)। टैंक की जगह स्टैंडर्ड मैनुफैक्चरिंग डिज़ाइन पर निर्भर करती है।
- d) इंजन की स्पीड को **इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग** सिस्टम से रेगुलेट किया जाएगा जो ओवर स्पीड प्रोटेक्शन भी देगा। AVR में एडजस्टेबल V/Hz फीचर होना चाहिए ताकि ब्लॉक लोडिंग कैपेसिटी को एडजस्ट किया जा सके और सबसे अच्छी पॉसिबल कैपेसिटी मिल सके।
- e) जनरेटर सेट में कंट्रोलर में ये प्रोटेक्शन फ़ीचर इन-बिल्ट होने चाहिए।

इंजन सुरक्षा सुविधाएँ और सुरक्षा

कम तेल दबाव चेतावनी

उच्च शीतलक तापमान चेतावनी

कम कूलेंट लेवल (चेतावनी या शट डाउन)

कम तेल दबाव बंद

उच्च शीतलक तापमान शट डाउन

क्रैंक शट डाउन करने में विफल

क्रैंकिंग लॉकआउट

ओवर स्पीड शट डाउन

आपातकालीन स्टॉप शट डाउन

कम से कम पिछले 5 फॉल्ट के लिए फॉल्ट लॉग

कमज़ोर बैटरी चेतावनी

इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फीचर्स और प्रोटेक्शन

उच्च एसी वोल्टेज संरक्षण

कम एसी वोल्टेज संरक्षण

आवृत्ति संरक्षण के अंतर्गत

एक्सार्डेशन का नुकसान

कमज़ोर बैटरी मॉनिटरिंग फ्रीचर

इंजन सुरक्षा सुविधाएँ

बैटरी वोल्टेज निगरानी

शीतलक तापमान निगरानी

कम ल्यूब लुब्रिकेंट तेल दबाव सुरक्षा

उच्च इंजन गति सुरक्षा

इंजन चलाने के घंटे

OEM स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉल्ट कोड डिस्प्ले

- a) प्रोग्रामेबल आइसोक्रोनेस या ड्रॉप गवर्निंग क्षमता
- b) हाई कूलेंट टेम्परेचर (ट्रिप/अलार्म)
- c) ओवर स्पीड (ट्रिप / अलार्म)
- d) कम लुब्रिकेंट ऑयल प्रेशर (ट्रिप)
- ई) कम कूलेंट लेवल (ट्रिप / अलार्म)
- f) बैटरी चार्जिंग विफलता

स्टार्टर मोटर सुरक्षा

स्टार्टअप पर ऑटोमैटिक स्पीड डिपेंडेंट स्टार्टर डिसएंगेजमेंट

इंजन एक्सेसरीज़.

DG सेट के साथ ये एक्सेसरीज़ दी जाएंगी।

- a) इंजन, अल्टरनेटर और रेडिएटर के लिए कॉमन बेस फ्रेम।
- b) इंजन और बेस फ्रेम और अल्टरनेटर और बेस फ्रेम के बीच ज़रूरी मात्रा में जाने-माने ब्रांड के एंटी-वाइब्रेशन माउंट लगाए जाने चाहिए।
- c) सभी घूमने वाले पार्ट्स के लिए प्रोटेक्टिव गार्ड ज़रूरी हैं।

बैटरियों

- a) बैटरी प्योर लेड-टिन थिन प्लेट (LTP) टेक्नोलॉजी वाली मेंटेनेंस फ्री टाइप की या मेंटेनेंस फ्री होनी चाहिए। **बैटरी केसिंग फायर रिटार्डेंट या OEM स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए।**
- b) बैटरी लगातार तीन बार स्टार्ट करने के लिए सही होनी चाहिए, हर बार 10 सेकंड का, और लगातार स्टार्ट के बीच 5 सेकंड का गैप होना चाहिए। बैटरी का AH मैनुफैक्चरर के बताए अनुसार होना चाहिए।

- c) बैटरी सप्लाई की जाएगी और DG सेट के पास / कंट्रोल पैनल के अंदर बैटरी चार्ज करने के लिए सही कैपेसिटी का स्टैंडर्ड ऑटोमैटिक चार्जर दिया जाएगा।

2.0 अल्टरनेटर

अल्टरनेटर हॉरिजॉन्टल फुट माउंटेड, सिंगल/डबल बेयरिंग, सेल्फ-एक्साइटेड, ब्रश-लेस, स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिप प्रूफ (SPDP), कंटीन्यूअस ड्यूटी अल्टरनेटर होना चाहिए जो IS 4722/ BS 2613 / IEC 60034-1 के हिसाब से हो, क्लास "H" इंसुलेशन के साथ, IP-23 एनक्लोजर जिसमें ये चीज़ें हों-

- a) लगातार डैम्पर वाइंडिंग।
- b) AVR को अल्टरनेटर का हिस्सा बनाया जाएगा।
- c) टर्मिनल बॉक्स जिसमें हर फेज़ वाइंडिंग के दोनों सिरे टर्मिनल पर लाए जाते हैं।
- d) सिंगल बेयरिंग/डबल बेयरिंग
- e) रेटेड पावर फैक्टर : 0.8(लैग)
- f) रेटेड वोल्टेज : 415 वोल्ट
- g) रेटेड फ्रीक्वेंसी : 50 Hz
- h) चरणों की संख्या : 3
- i) संलग्नक : SPDP
- j) सुरक्षा का स्तर : IP-23
- k) वेंटिलेशन: सेल्फ-वेंटिलेटेड एयर कूल्ड
- l) परिवेश का तापमान : अधिकतम 40 °C

- m) इन्सुलेशन क्लास : H
- n) तापमान में बढ़ोतरी : क्लास H लिमिट के अंदर रेटेड लोड
- o) वोल्टेज विनियमन : $\pm 1\%$
- p) वोल्टेज में बदलाव : $\pm 5\%$
- q) ओवरलोड ऊ्यूरेशन/कैपेसिटी : हर 12 घंटे लगातार इस्तेमाल में एक घंटे के लिए 10%
- r) फ्रीक्वेंसी वेरिएशन: इंजन गवर्नर द्वारा डिफाइन किया गया ($\pm 1\%$)
- s) AVR का प्रकार : इलेक्ट्रॉनिक
- t) बेयरिंग के प्रकार और लुब्रिकेशन अरेंजमेंट: ग्रीस लुब्रिकेशन के साथ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग

OEM स्टैंडर्ड के अनुसार जनरेटर सेट के लिए नीचे दिया गया कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए

1. लोकल या रिमोट स्टार्ट और स्टॉप।
2. कंट्रोल स्विच: ऑफ/रन/ऑटो मोड
3. नीचे दी गई स्थिति बताने के लिए LED इंडिकेटिंग लैंप
 - a. ऑटो मोड में नहीं
 - ख. शटडाउन
 - c. रिमोट स्टार्ट कमांड
4. फॉल्ट रीसेट स्विच
5. इमरजेंसी स्टॉप स्विच

OEM स्टैंडर्ड के अनुसार DG सेट के लिए नीचे दिए गए मीटरिंग और प्रोटेक्शन ज़रूरी हैं ।

डिजिटल मीटर नीचे दिए गए इंडिकेशन के लिए हैं:

ए.] इंजन पैरामीटर:

1. स्नेहक तेल दबाव
2. शीतलक तापमान
3. इंजन की गति
4. इंजन घंटे रन
5. बैटरी वोल्टेज

बी.] अल्टरनेटर पैरामीटर्स: -

1. चरण वोल्टेज एलएल
2. समानांतर बस वोल्टेज
3. चरण भाग
4. आवृत्ति
5. कुल और प्रति चरण KVA
6. अल्टरनेटर एक्साइटर ड्यूटी और गवर्नर ड्यूटी

सी.] सुरक्षा:

इंजन:

1. कम लुब्रिकेंट तेल का दबाव (चेतावनी(W)/शटडाउन (SD))
2. उच्च शीतलक तापमान (W/SD)
3. कम कूलेंट तापमान - W
4. कम कूलेंट लेवल - W/SD
5. तेल दबाव प्रेषक - W
6. इंजन तापमान प्रेषक - W
7. क्रैंक करने में विफल - SD
8. ओवर क्रैंक - SD
9. ओवर स्पीड - SD

10. कम और ज़्यादा बैटरी वोल्टेज - W
11. कमज़ोर बैटरी - W
12. डेड बैटरी - SD
13. मैग्नेटिक पिक अप फेलियर - SD

अल्टरनेटर:

1. ओवर वोल्टेज - SD
2. अंडर वोल्टेज - SD
3. अंडर फ्रीक्वेंसी - SD
4. ओवर फ्रीक्वेंसी - W/SD
5. एक्साईटेशन की हानि-एसडी

इंजन स्टैंडर्ड कंट्रोल पैनल पर लोकल आइसोलेशन: 100 Amp MCCB, 25 kA या बेहतर / सही रेटिंग दी जाएगी।

मैनुअल नियंत्रण पैनल

कंट्रोल पैनल को जनरेटर सेट के ऑपरेशन और लोड पैनल को कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। पैनल इंटिग्रल क्यूबिकल पैटर्न का होगा, जो 16 SWG, CRCA शीट से बना होगा और RAL 9003 से पाउडर कोटेड होगा।

पैनल इंटर कनेक्शन, इंसुलेटर, 2 नग अर्थिंग लग्स के साथ पूरा होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (1) 1.2 एम्पियर प्रति वर्ग मिमी भाग घनत्व वाले विद्युत अपघटनी ग्रेड टिनयुक्त तांबे का बस बार या उपयुक्त आकार के केबल
- (2) वोल्टमीटर 0-500 वोल्ट
- (3) चयनकर्ता स्विच वोल्टमीटर - ऑफ/आरवाई/वाईबी/बीआर
- (4) उपयुक्त स्केल का अमीटर - 0-200 A या उपयुक्त रेटिंग

- (5) चयनकर्ता स्विच एमीटर - ऑफ/आर/वाई/बी
- (6) मोड चयनकर्ता स्विच - बंद/मैनुअल
- (7) मानक निर्माता डिजाइन के अनुसार संकेतक प्रकाश, हूटर, उद्घोषक, टाइमर इत्यादि
- (8) मानक निर्माता डिजाइन के अनुसार मीटरिंग और सुरक्षा दोनों के लिए उपयुक्त रेटिंग और सटीकता वर्ग के वर्तमान ट्रांसफार्मर का सेट।
- (9) बिल्ट-इन, बूस्ट कम ट्रिकल बैटरी चार्जर जिसमें शामिल हैं- ट्रांसफार्मर / रेक्टिफायर, डीसी अमीटर, डीसी वोल्टमीटर, चार्जिंग दर चयनकर्ता स्विच आदि मानक निर्माता डिजाइन के अनुसार।
- (10) डिजिटल फ्रीक्वेंसी, केडब्ल्यूएच, केडब्ल्यू मीटर, 3 पीएच, 4 वायर, 415 वी एसी या मल्टीफंक्शन मीटर।
- (11) शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड संरक्षण के साथ डीजी आपूर्ति के लिए न्यूनतम 100 ए एमसीसीबी।
- (12) निर्माता मानक डिजाइन के अनुसार आवश्यक मात्रा और उपयुक्त क्षमता नियंत्रण एमसीबी, अन्य बिजली या सहायक ठेकेदार आदि
- (13) टर्मिनेटिंग पावर केबल के लिए आवश्यक बस एक्सटेंशन/पर्याप्त स्थान और केबल प्रविष्टि प्लेट इत्यादि।
- (14) निर्माता के मानक डिजाइन के अनुसार मैनुअल कंट्रोल पैनल के कामकाज के लिए आवश्यक सभी अन्य विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक घटक।
- (15) एसी जनरेटर के लिए सुरक्षा
 - (i) कंट्रोलर के ज़रिए मैनुफैक्चरर स्टैंडर्ड के हिसाब से अंडर/ओवर वोल्टेज एडजस्टेबल सेटिंग के साथ मेन सप्लाय वोल्टेज मॉनिटर

(16) नियंत्रण रिले का सेट

- (i) इंडिकेटिंग लैंप का सेट, सेट पर लोड, मेन्स पर लोड, स्टार्ट फेलियर, हाई टेम्परेचर ट्रिप, लो ऑयल प्रेशर, हाई टेम्परेचर वॉर्निंग, बैटरी लो।
- (ii) स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट / अलार्म स्वीकार / DG / मेन्स सप्लाई कॉन्टैक्टर्स को बंद / खोलने और टेस्ट करने के लिए बटन दबाएं।
- (iii) हूटर चालू/बंद करने के लिए टॉगल स्विच
- (iv) कंट्रोलर के ज़रिए सही कैपेसिटी का 3 फेज़ 4 वायर अनबैलेंस्ड टाइप एनर्जी मीटर (CTs के साथ) या मैनुफैक्चरर स्टैंडर्ड के अनुसार।

पैनल को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि मेन सप्लाई फेल होने पर, डीज़ल इंजन और जनरेटर को मैनुअली स्टार्ट किया जाएगा और ज़रूरी लोड के लिए जनरेटर पावर उपलब्ध कराई जा सकेगी। मेन सप्लाई ठीक होने पर, मेन सप्लाई ठीक होने के बाद जनरेटर सप्लाई को मैनुअली काट दिया जाएगा और उसके बाद इंजन बंद कर दिया जाएगा।

अगर तीन कोशिशों के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता है या रेटेड स्पीड नहीं पकड़ पाता है, तो इंजन स्टार्टर अपने आप ट्रिप हो जाएगा और जनरेटर सेट की खराब हालत बताने के लिए एक ऑडियो अलार्म बजेगा। पैनल में ऊपर बताए गए सभी कामों के लिए सही सर्किटरी होनी चाहिए, जिसमें सभी ज़रूरी पार्ट्स जैसे कंट्रोल कॉइल, रिले, कॉन्टैक्ट ब्लॉक, इंटरनल वायरिंग वगैरह शामिल हों।

पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स अच्छी क्वालिटी/भरोसेमंद होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिनके स्पेयर पार्ट्स लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएं।

ऑपरेटिंग मैनुअल का एक सेट और पैनल के कंट्रोल सर्किट ड्राइंग के दो सेट लैमिनेटेड रूप में दिए जाएंगे, जिनमें से एक जनरेटर रूम में कंट्रोल पैनल के पास और दूसरा रिकॉर्ड के लिए दिया जाएगा।

(17) पुर्जे एवं उपकरण - निविदाकर्ता जनरेटिंग सेट (बिना किसी अतिरिक्त लागत के) के साथ आपूर्ति किए जाने वाले मानक उपकरणों एवं पुर्जों की सूची प्रस्तुत करेंगे, यदि कोई हो।

(18) निर्माण- निर्माण के दायरे में निम्नलिखित की आपूर्ति और निर्माण शामिल होगा:

- एक कॉमन बेस प्लेट पर रखे इंजन और अल्टरनेटर को अकूस्टिक एनक्लोजर के अंदर सही कैपेसिटी वाले कुशन फुट या उसके बराबर एंटी-वाइब्रेशन माउंट पर लगाया जाएगा। ऊपर दिए गए DG सेट के लिए ज़रूरी सिविल वर्क (PCC प्लिंथ / फाउंडेशन वगैरह) को फर्श या ज़मीन पर रखने और इंस्टॉल करने के लिए, जैसा कि ऊपर दिए गए DG सेट के लिए ज़रूरी है, बैंक करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को जेनसेट के लिए ज़रूरी फाउंडेशन की डिटेल्स, यानी साइज़, मोटाई वगैरह देनी होंगी।
- OEM के बताए अनुसार इनबिल्ट स्टैंडर्ड फ्यूल टैंक। बैटरी को सही साइज़ के एंगल आयरन स्टैंड पर लगाया जाएगा, ठीक से पेंट किया जाएगा, फर्श पर फिक्स किया जाएगा, और सही रबर मैटिंग दी जाएगी।
- अलग ऑटोमैटिक बैटरी चार्जर यूनिट वाली बैटरी दी जाएंगी और उन्हें सही साइज़ के एंगल आयरन स्टैंड पर लगाया जाएगा, ठीक से पेंट किया जाएगा, फर्श पर फिक्स किया जाएगा और सही रबर मैटिंग पर लगाया जाएगा।
- IS 3043/1966 के अनुसार चार प्लेट अर्थ स्टेशन दिए जाएंगे, जिनमें कॉपर अर्थ प्लेट, GI पाइप, फनल, CI कवर वगैरह होंगे (दो न्यूट्रल अर्थिंग के लिए, दो इस्क्रिपमेंट अर्थिंग के लिए)।
- एक हेवी-ड्यूटी रेजिडेंशियल ग्रेड साइलेंसर दिया जाएगा, जिसमें सपोर्ट के साथ लंबे बेंड, बर्ड स्क्रीन वगैरह होंगे। सभी इस्क्रिपमेंट खड़े होने के बाद, ज़रूरत के हिसाब से उन पर अनुमोदित क्वालिटी पेंट के दो कोट लगाए जाएंगे।

- सभी इक्विपमेंट लगाने के बाद, ज़रूरत के हिसाब से उन पर अनुमोदित क्वालिटी के पेंट के दो कोट लगाए जाएंगे।
- बिना कीमत वाले बिल ऑफ़ क्वांटिटी /पार्ट-II में बताए गए ज़रूरी साइज़ और IS/BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से मंज़ूर मेक कंट्रोल केबलिंग, DG सेट से मैनुअल कंट्रोल पैनल तक की जाएगी और उसी को खत्म किया जाएगा।
- निविदा देने वाले को DG सेट को बैंक द्वारा दिखाई गई आउटडोर जगह पर लगाना होगा, जिसके लिए वेंडर्स को कोटेशन देने से पहले साइट विज़िट करने की सूचना दी जाती है।
- बैंक के इंजीनियर से सूचना करके ज़रूरी इलेक्ट्रिकल और फिजिकल लेआउट ड्रॉइंग तैयार की जाएंगी। **अगर ज़रूरी हो, तो ड्रॉइंग/प्लान लोकल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर या किसी दूसरी कानूनी अथॉरिटी जैसे राज्य सरकार, CPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह को उनकी सहमति/मंजूरी के लिए ज़रूरत के हिसाब से जमा किए जाएंगे।** कॉन्ट्रैक्टर कानूनी अथॉरिटी से इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन करवाएगा और ज़रूरत के हिसाब से पूरे इंस्टॉलेशन को सर्टिफाइड करवाएगा। अगर ऊपर बताई गई अथॉरिटी कोई कमी बताती हैं, तो उन्हें फ्री में ठीक किया जाएगा। हालांकि, अगर इस काम के दायरे से बाहर कोई काम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना है, तो उसे आपसी सहमति से तय एक्स्ट्रा रेट पर किया जाएगा। **इस संबंध में सिर्फ़ कानूनी अथॉरिटी को दी जाने वाली फीस, अगर कोई हो, तो बैंक द्वारा रीइंबर्स की जाएगी, बशर्ते अथॉरिटी द्वारा जारी की गई ओरिजिनल रसीद जमा की जाए।**

ध्वनिक आवरण की विशिष्टता

1. अकूस्टिक एनक्लोजर का निर्माण

अकूस्टिक एनक्लोजर पाउडर कोटेड होगा और कम से कम 1.4 mm मोटाई वाली MS शीट से बना होगा। साइलेंट कैनोपी नट बोल्ट टाइप की बनावट की होगी। शीट मेटल के सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद पाउडर कोटिंग की जाती है। कैनोपी पैनल और दरवाजों के अंदर अकूस्टिक मटीरियल के तौर पर फायर-रिटार्डेंट फोम की लाइनिंग होगी। कैनोपी में हिंज वाले दरवाजे दिए जाएंगे, एक दरवाजे में कंट्रोल पैनल के लिए कांच की खिड़की होगी।

2. सतह उपचार - पेंटिंग

एनक्लोजर की सतह को 9 टैंक प्रोसेस से प्रीट्रीट किया जाता है और उसके बाद उन पर हाई क्वालिटी पाउडर की कोटिंग की जाती है और कन्वेयर ओवन में एक जैसे तापमान पर बेक किया जाता है।

3. बेस फ्रेम

बेस फ्रेम मजबूत बना है और इसे इंजन और फ्लेक्सिबल कपलिंग/क्लोज कपल्ल्ड अल्टरनेटर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें क्रॉस मेंबर AVM पर लगे होते हैं। इन्हें सही मोटाई के MS HR शीट स्टील से बनाया गया है। बेस फ्रेम को प्रीट्रीट किया गया है और प्राइमर-बेस्ड पाउडर/एपॉक्सी पेंट से कोट किया गया है।

4. ईंधन टैंक

फ्यूल टैंक 2 / 3 mm MS HR शीट से बना है जो बेस फ्रेम (डिटैचेबल) के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें OEM के बताए अनुसार इनलेट और आउटलेट कनेक्शन या इनबिल्ट स्टैंडर्ड फ्यूल टैंक लगा है।

5. साइलेंसर

CPCB-IV+ नॉर्म्स को पूरा करने के लिए इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट के शोर को दबाने के लिए रेजिडेंशियल ग्रेड साइलेंसर दिया गया है। साइलेंसर और उससे जुड़े एग्जॉस्ट पाइप को ग्लास वूल इंसुलेशन और एल्यूमीनियम शीट से ठीक से कवर किया जाना चाहिए।

6. आपातकालीन पुश स्टॉप बटन:

कैनोपी में बाहर की तरफ इमरजेंसी पुश बटन का इंतज़ाम है।

7. कार्यनिष्पादन पैरामीटर

कैनोपी के साथ DG को (ISO 3744 OR 8528 PT 10) के हिसाब से बनाया जाता है ताकि CPCB-IV+ के नियमों के हिसाब से ग्रीन फील्ड कंडीशन में चारों तरफ से 1 मीटर की दूरी पर एवरेज 75 DBA मिल सके। कैनोपी के अंदर एवरेज स्टेबल गर्म हवा का टेम्परेचर बढ़ना आस-पास के टेम्परेचर से 10 डिग्री C ज्यादा बनाए रखा जाता है।

गारंटी

DG सेट की गारंटी खराब कारीगरी/खराब मटीरियल क्वालिटी और उसकी वजह से होने वाली खराबी के खिलाफ होगी, कमीशनिंग की तारीख से कम से कम **5000 रनिंग घंटे या डिस्पैच की तारीख से 12 महीने**, जो भी पहले हो। क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक 85 कनेक्टिंग रॉड जैसे बड़े पार्ट्स पर डिस्पैच की तारीख से 5000 रनिंग घंटे या 12 महीने की वारंटी होनी चाहिए। इस क्लॉज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। **वारंटी इंजन और अल्टरनेटर के OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर) और बिडर की तरफ से होनी चाहिए। इसके लिए इंजन मैनुफैक्चरर से सर्टिफिकेट/लेटर निविदा सबमिशन डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाना होगा।**

इमरजेंसी में समय पर सर्विस बैकअप पक्का करने के लिए, यह बहुत ज़रूरी है कि **मैनुफैक्चरर का सर्विस ऑफिस मौजूद हो। भुवनेश्वर में** अपने-अपने सर्विस डीलरों के अलावा, समय पर सर्विस पक्की करने के लिए निविदा देने वाले को इंजन बनाने वाली कंपनी को भारत में टोल फ्री नंबर की जानकारी देनी होगी ताकि जल्दी सर्विस मिल सके।

भारत में अभी DG सेट के लिए लागू लेटेस्ट CPCB-IV+ नॉर्म्स का पालन पक्का करने के लिए, जिन मैनुफैक्चरर्स के पास दो अलग-अलग मॉडल हैं, उन्हें बेहतर एमिशन वाले मॉडल का कोटेशन देना होगा।

ऊपर दिए गए किसी भी स्पेक्स/रिकायरमेंट का पालन न करने पर, निविदा में पॉइंट-बाय-पॉइंट साफ़-साफ़ बताया जाना चाहिए।

अनुपालन मानक

BS 4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE 5100, NEMA MG1-22 CEMA, IEC 34, CSA 22.2, AS 1359, BSS 5514, ISO 3046 और ISO 85

बेस प्लेट - डीज़ल इंजन और अल्टरनेटर को एक कॉमन बेस प्लेट पर लगाया जाएगा, जो सही चैनल सेक्शन से बनी होगी और जिसमें वेल्ड किए गए जॉइंट होंगे। बैंक के इंजीनियर से मंज़ूर सही एंटी-वाइब्रेशन माउंटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वाइब्रेशन को स्ट्रक्चर तक जितना हो सके, जाने से रोका जा सके।

- OEM डिज़ाइन के अनुसार इनबिल्ट मानक ईंधन टैंक।
- फ्यूल लेवल गेज को कम से कम 5 डिवीज़न वाले सही स्केल पर लगाया जाना चाहिए लीटर।
- मोबाइल तेल निकालने के लिए ड्रेन प्लग लगाए जाएंगे।
- बैटरी ट्रे में या एमएस स्टैंड पर उपलब्ध कराई जाएगी।

एग्जॉस्ट पाइपिंग: एग्जॉस्ट लाइन के लिए सभी MS पाइप संबंधित IS के अनुसार होने चाहिए। इंजन पर फैक्ट्री असेंबली का हिस्सा बनने वाले रन, एग्जॉस्ट साइलेंसर तक के फ्लेक्सिबल कनेक्शन, एग्जॉस्ट पाइपिंग आइटम होंगे। इस काम में एग्जॉस्ट पाइप के काम की ज़रूरी क्लैडिंग शामिल है, जिसमें 50 mm मोटी लूज़ली बाउंड रेज़िन (LBR) मैट्रेस/मिनरल वूल/रॉकवूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी डेंसिटी 120 Kg/m^3 से कम नहीं होनी चाहिए और पूरे हिस्से के लिए नॉर्म्स के अनुसार एल्यूमीनियम क्लैडिंग (0.6 mm मोटी) की जाती है। एग्जॉस्ट पाइप सिस्टम में टर्बो चार्जर/एग्जॉस्ट पाइपिंग पर किसी भी लोड या स्ट्रेस से बचने के लिए ज़रूरी सपोर्ट, फाउंडेशन वगैरह शामिल हैं।

कंट्रोल पैनल के लिए ये टेस्ट किए जाने हैं और पैनल को साइट पर भेजने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरी सर्टिफिकेट जमा करने होंगे।

i) सभी स्विचगियर बंद स्थिति में रखकर 1000 V मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट।

- 1) फेज़-टू-फेज़ 2.5 मेगा ओम
- 2) फेज़-टू-न्यूट्रल 1.5 मेगा ओम

- 3) मीटर और रिले को कैलिब्रेट किया गया और सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट से टेस्ट किया गया।
8. **फाउंडेशन/केबल ट्रेंच** : कॉन्ट्रैक्टर को साइट की कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी फाउंडेशन और केबल ट्रेंच के लिए ड्राइंग जमा करनी होगी। बैंक इस संबंध में ज़रूरी सिविल काम करेगा।
9. **स्पेयर्स और टूल्स** - निविदा देने वालों को जेनरेटिंग सेट (बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के) के साथ सप्लाई किए जाने वाले स्टैंडर्ड टूल्स और स्पेयर्स की लिस्ट जमा करनी होगी, अगर कोई हो।
10. **परीक्षण और कमीशनिंग** –
- a. DG सेट और मैनुअल कंट्रोल पैनल को मैनुफैक्चरर की फैक्ट्री/कॉन्ट्रैक्टर के काम में टेस्ट किया जाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि दिए गए स्पेसिफिकेशन्स का पालन हो रहा है।
 - b. **सफल निविदाकर्ता अपने खर्च पर टेस्ट रन के लिए स्टाफ/प्पूल/कंज्यूमेबल्स का इंतज़ाम करेगा ।**
 - c. टेस्टिंग के लिए, यह तरीका अपनाया जाएगा: सभी ज़रूरी चीज़ें/इक्विपमेंट, जैसे इंजन और अल्टरनेटर असेंबल्ड कंडीशन में, उनसे जुड़े इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल वगैरह, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए फैक्ट्री/मैनुफैक्चरर के काम पर पेश किए जाएंगे। सफल निविदा देने वाले को ऐसे टेस्ट करने के लिए कम से कम दो हफ़्ते का नोटिस देना होगा । बैंक का इंजीनियर या उसका ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव आपसी सहमति से तय तारीख पर ऐसे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग को देखेगा । रिप्रेजेंटेटिव के फैक्ट्री आने का खर्च बैंक उठाएगा।

- d. बैंक के पास फैक्ट्री में पैनल फैब्रिकेशन के काम को इंस्पेक्ट करने का अधिकार भी है और सफल निविदाकर्ता को इसके लिए इंतज़ाम करना होगा।
 - e. फैक्ट्री में टेस्ट: DG सेट को फैक्ट्री में फुल लोड पर टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान, DG सेट को रेटेड KW पर 4 घंटे तक चलाया जाएगा, जिसमें **3 घंटे** लगातार चलाने के बाद 10% ओवरलोड पर **एक घंटा शामिल है**। टेस्टिंग के दौरान सभी कंट्रोल/ऑपरेशन सेफ्टी चेक की जाएंगी और सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। टेस्टिंग के दौरान कोई भी खराबी/असामान्यता दिखने पर उसे ठीक किया जाएगा। टेस्टिंग तभी सफल मानी जाएगी जब टेस्टिंग के दौरान कोई असामान्यता/फेलियर न दिखे। DG सेट को साइट पर भेजने के लिए तभी क्लियर किया जाएगा जब बैंक का इंजीनियर टेस्टिंग को सफल घोषित कर देगा।
 - f. अगर कैलकुलेट किया गया असल फ्यूल कंजम्पशन कमिटेड वैल्यू के 5% से ज़्यादा है, तो DG सेट रिजेक्ट हो सकता है। बाकी सभी पैरामीटर्स को रिलेवेंट IS के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इस टेस्टिंग के लिए ज़रूरी सभी कंज्यूमेबल्स जैसे फ्यूल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट वगैरह देगा और साइट टेस्टिंग पूरी होने के बाद फ्यूल टैंक को फ्री में फ्यूल से फुल चार्ज करेगा और इससे जुड़े चार्ज कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा। टेस्ट पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्टर बैंक को ज़रूरी टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा।
11. अलावा , DG सेट को साइट पर फुल लोड पर कुल **02 घंटे तक ठीक से काम करने के लिए टेस्ट किया जाएगा**। कॉन्ट्रैक्टर इस टेस्टिंग के लिए ज़रूरी सभी सामान जैसे फ्यूल, लुब्रिकेंट (एक शुरुआती चार्ज सहित) देगा। टेस्ट पूरा होने पर ज़रूरी टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी।

भाग IX
तकनीकी विवरण
(निविदा द्वारा दिया जाना है)

क्रम संख्या	विवरण	निविदा देने वालों का ऑफर
1.	इंजन	
	मेक	
	मॉडल संख्या	
	प्रकार	
	शीतलन प्रणाली का प्रकार	
	साइलेंसर का प्रकार	
	ईंधन टैंक क्षमता	
	1500 RPM पर इंजन BHP	
	गवर्नर का प्रकार	
	100% और 75% लोड/घंटा पर ईंधन की खपत	
2.	आवर्तित्र	
	मेक	
	मॉडल संख्या	
	चौखटा का आकार	
	रेटेड वोल्टेज	
	क्षमता kVA में	
	एक्साईटेशन	
	% विनियमन	
	बाड़ों के प्रकार	
	वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन का वर्ग	
	चाहे ब्रशलेस हो या नहीं	
3.	बैटरियों	
	मेक	

	वोल्टेज	
	क्षमता एम्पियर घंटे में	
	स्टैंड शामिल है या नहीं	
	अलग से ऑटोमैटिक बैटरी चार्जर यूनिट शामिल है या नहीं	
4.	युग्मन	
	प्रकार	
	गार्ड उपलब्ध है या नहीं	
	बेस प्लेट शामिल है या नहीं	
5.	- एग्जॉस्ट पाइप का व्यास - एग्जॉस्ट पाइप की मोटाई - इन्सुलेशन की मोटाई और प्रकार	
6	सामान्य	
	डीजी सेट की कुल लंबाई LXW x H	
	डीजी सेट का कुल वजन	
	डीजी का नॉइज़ लेवल अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ एक मीटर पर सेट किया गया	
	कंट्रोल पैनल का कुल माप L x B x H	
7.	इंजन और अल्टरनेटर के साथ आमतौर पर दिए जाने वाले टूल्स की लिस्ट, फ्री	अगर कोई लिस्ट हो तो उसे अलग से अटैच करें
8.	इंजन और अल्टरनेटर के साथ आमतौर पर दिए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट, मुफ्त।	अगर कोई लिस्ट हो तो उसे अलग से अटैच करें

साइट के डाइमेंशन के साथ GA ड्राइंग, निविदा देने वाले को इस निविदा के साथ अटैचमेंट के तौर पर जमा करनी होगी।

तारीख:

स्थान: बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

खंड X

निर्दिष्ट मेक की सूची

क्रमांक	उपकरण	स्वीकृत ब्रांड
1	इंजन	Cummins/Greaves/Leyland/ Kirloskar oil engines/ Baudouin / Mahindra / Caterpillar / Perkins/Volvo-Eicher/Escorts Kubota
2	आवर्तित्र	किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक/क्रॉम्पटन ग्रीव्स/स्टैमफोर्ड/एनजीईएफ/लेरॉय सोमर
3	केबल	सीसीआई/ग्लोस्टर/एनआईसीसीओ/पॉलीकैब/फिनो लेक्स
4	एमसीसीबी/एमसीबी	एल एंड टी / एबीबी / सीमेंस / श्राइडर / एल्सटॉम / लेग्रैंड
5	ऊर्जा मीटर	जयपुर/हैवेल्स/एलएंडटी/एचपीएल
6	वोल्टमीटर/एमीटर	एई / मेको / एलएंडटी / हैवेल्स / जीई / श्राइडर / ऋषभ
7	बैटरी	एक्साइड/स्टैंडर्ड फुरुखावा
8	contactor	एलएंडटी, सीमेंस, मर्लिन गेरिन, एबीबी, लेग्रैंड
9	सुरक्षात्मक रिले	अरेवा, आशिदा, ईसुन रेयरोले
10	सीटीएस	कप्पा / प्रगति / ईसीएस / एशमोर

भाग XI

बिना कीमत वाला बिल ऑफ़ कांटीटी (यहां कोट नहीं करना है) रेट सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में कोट करने हैं। - भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ़ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में मैनुअल कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीज़ल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा।

क्रमांक	कार्य का वर्णन	मात्रा
1	<p>जनरेटर सेट:</p> <p>नवीनतम सरकारी मानदंडों के अनुसार ध्वनिक आवरण के साथ 50 केवीए क्षमता के मैनुअल स्टार्ट साइलेंट डीजल जनरेटर सेट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, चालू करना (डीएसआईटीसी) और सौंपना, नवीनतम विस्तृत विनिर्देश और सीपीसीबी-IV+ मानदंडों के अनुसार, 3 चरण, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज जो 0.8 पीएफ़ लैग पर 100% लोड पर 65 बीएचपी से कम नहीं विकसित करने में सक्षम है, डीजल इंजन, अल्टरनेटर, वाटर कूल्ड रेडिएटर, स्वयं शुरू करने वाला उपकरण, माइक्रोप्रोसेसर आधारित एकीकृत नियंत्रक जिसमें वोल्टेज रीडिंग, इंजन और अल्टरनेटर पैरामीटर के साथ वर्तमान रीडिंग जैसे सभी रीडिंग प्रदर्शित की जानी हैं, इन्सुलेशन के साथ आवासीय ग्रेड साइलेंसर, तांबे के तारों को जोड़ने वाली बैटरी, इंजन पैनल, बेस फ्रेम,</p> <p>(ए) मूल दर</p> <p>(ख) परिवहन और भंडारण सह निर्माण की लागत</p> <p>(सी) जीएसटी सहित सभी वैधानिक कर और पारगमन और भंडारण सह निर्माण के लिए बीमा</p> <p>(d) DG सेट को लगाने, लोड करने, उतारने, टेस्ट करने और चालू करने का चार्ज, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से निविदा के हिसाब से कानूनी अधिकारियों से मंजूरी लेना भी शामिल है।</p>	1 सेट

	<p>(e) नए DG सेट की टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए डीज़ल, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह जैसे कंज्यूमेबल्स की कीमत (फ़ैक्ट्री टेस्टिंग में फुल लोड पर लगभग 4 घंटे और साइट पर 2 घंटे)</p> <p>(f) कैनोपी और/या DG सेट के पार्ट्स को खोलने और फिर से जोड़ने का खर्च, ताकि DG सेट को फ़ाइनल इंस्टॉलेशन की जगह तक आसानी से पहुँचाया जा सके।</p> <p>(g) अल्टरनेटर से स्टैंडर्ड पैनल तक पावर केबल भी शामिल है।</p> <p>(h) काम में स्टैंडर्ड मैनुअल कंट्रोल पैनल का SITC शामिल है, जिसमें 4 पोल 100A MCCB, इंडिकेटिंग लैंप, सभी ज़रूरी हार्डवेयर, कंट्रोल केबल वगैरह शामिल हैं, और यह सब बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देश पर किया जाएगा।</p>	
2	<p>अर्थिंग:</p> <p>IS:3043:1966 के अनुसार और आज तक बदले गए निर्देशों के अनुसार, टेस्ट पॉइंट तक 25 x 5 mm टिन वाली कॉपर अर्थ स्ट्रिप के दो रन की सप्लाई और बिछाने सहित फनल, GI वॉटर पाइप के साथ अर्थ स्टेशन देना। (2 बॉडी / इक्विपमेंट के लिए और 2 न्यूट्रल अर्थ के लिए) जैसा कि निविदा में डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में बताया गया है और जैसा कि बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज ने बताया है।</p>	4 संख्या
3	<p>अर्थ स्ट्रिप की सप्लाई और बिछाने का काम: -</p> <p>25 mm x 5 mm टिन वाली कॉपर अर्थ स्ट्रिप की सप्लाई और फिक्सिंग, जिसमें ब्लैक स्लीव लपेटी हुई हो, ज़रूरी सामान जैसे क्लैंप, स्कू, स्पेसर और क्रोमियम प्लेटेड नट और बोल्ट के साथ सही जोड़ और कनेक्शन हों, जैसा बताया गया है वैसा ही पूरा हो (बॉडी / इक्विपमेंट और न्यूट्रल अर्थिंग के लिए)।</p>	20 आरएमटी

4	<p>गैर-व्यापक रखरखाव अनुबंध (एनसीएमसी):</p> <p>निविदा पार्ट-1 में बताए गए सालाना मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज (बिना स्पेयर पार्ट्स के) इंजन, अल्टरनेटर, स्टैंडर्ड इंजन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, अकूस्टिक एनक्लोजर, बैटरी, बैटरी चार्जर यूनिट वगैरह के लिए हर साल (शुरुआती गारंटी पीरियड / 01 साल की डिफेक्ट्स लायबिलिटी के बाद एक साल के लिए वैध)। उसके बाद रेट में बढ़ोतरी (अगर कोई हो) आरबीआई बुलेटिन के अनुसार प्राइस इंडेक्स के आधार पर मानी जाएगी।</p> <p>*अगर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी, तो बैंक अलग से खरीदेगा।</p>	प्रतिवर्ष
---	---	-----------

जगह

तारीख

ठेकेदार की मुहर

हस्ताक्षर

अनुलग्नक I

ग्राहकों की सूची

30 अप्रैल, 2020 या उससे पहले की होनी चाहिए

क्र.	फर्म का नाम और पता कार्य आदेश संख्या और दिनांक	आपूर्ति की गई इकाइयों की संख्या	कार्य का मूल्य	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (शुरू होने की तारीख और खत्म होने की तारीख बताएं)	समापन कार्य आदेश के अनुसार अवधि	फैक्स / फ़ोन नंबर और संपर्क फर्म का व्यक्ति

पिछले 5 सालों में किए गए ऐसे ही क्वालिफाइंग कामों की डिटेल्स (**30 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले पूरे हुए**)

क्र.	कार्य का नाम कार्य आदेश संख्या और दिनांक	फर्म का नाम और पता	सप्लाई किए गए DG सेट यूनिट्स की रेटिंग और संख्या	कार्य का मूल्य	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (शुरू होने की तारीख और खत्म होने की तारीख बताएं)	समापन कार्य आदेश के अनुसार अवधि	फैक्स /ईमेल /फ़ोन नंबर और संपर्क फर्म का व्यक्ति

(अगर ज़रूरी हो तो शीट अटैच करें)

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर:

तारीख

अनुलग्नक - II

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

भुवनेश्वर

क्लाइंट का सर्टिफिकेट - कॉन्ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस

ग्राहक का नाम और पता

मेसर्स (निविदा का नाम) द्वारा किए गए कामों की जानकारी

- 1 काम का नाम और संक्षिप्त जानकारी
- 2 अनुबंध संख्या और दिनांक
- 3 करार की राशि
- 4 कार्य शुरू करने की तारीख
- 5 पूरा होने की निर्धारित तिथि
- 6 पूरा होने की वास्तविक तिथि
- 7 देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)

- 8 पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम
- 9 उस अर्थोरेटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया
- 10 क्या कॉन्ट्रैक्टर ने काम करते समय क्वालिफाइड इंजीनियर/ओवरसियर को काम पर रखा था?
- 11 i) काम की क्वालिटी (ग्रेडिंग बताएं) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- ii) कम रेट पर दिए गए काम की रकम, अगर कोई भी।
- 12 i) क्या कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्रेशन के लिए गया था?
- ii) अगर हाँ, तो क्लेम की कुल रकम
- iii) कुल अवार्ड राशि
- 13 ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ
- ए) तकनीकी दक्षता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- बी) वित्तीय सुदृढ़ता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- सी पर्याप्त T और P का जुटाव उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- ड) श्रमशक्ति उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- ई) सामान्य व्यवहार उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

*

प्रतिहस्ताक्षरित”

रिपोर्टिंग ऑफिसर* ऑफिस की मुहर के
साथ

*एग्जीक्यूटिव इंजीनियर/सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या समकक्ष रैंक का अधिकारी

अनुलग्नक III

प्रतिभू जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना है)

सं. _____ दिनांक _____

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

प्रिय महोदय

INR ____ (INR ____ केवल) की प्रतिभू जमा स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति के बदले मेसर्स _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा आपके साथ उनके अनुबंध के अनुसार, **50 केवीए डीजल जेनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ, बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (एसक्यूबीएम) भुवनेश्वर में** उनके निविदा दिनांक _____ के अनुसार और अनुबंध की आपकी विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों को हमारे द्वारा गारंटी के रूप में आपके अनुबंध दिनांक _____ में निर्धारित या संदर्भित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि आगे निहित तरीके से निहित है, हम _____ (बैंक का नाम) इसके द्वारा निम्नलिखित के साथ वचन देते हैं और आपसे सहमत हैं:

1. हम आपको हर्जाना देने और समय-समय पर हर्जाना देते रहने का वादा करते हैं

उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्तों के ठेकेदार की ओर से किसी उल्लंघन या

उल्लंघनों के कारण आपको होने वाली या आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ___ INR (___ केवल) की सीमा तक और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को पूरा करने में या अन्यथा उसके वास्तविक इरादे और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों के पालन और कार्यनिष्पादन में कोई चूक या असफलता की स्थिति में, हम मांगे जाने पर तत्काल आपको ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर INR _____ (INR _____ केवल) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में दावा कर सकते हैं।

2. इसके उलट कुछ भी हो, आपका यह फैसला कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं और आप उसकी वजह से कितनी रकम या रकमों के हकदार हैं, हम पर लागू होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत अपने दावे या दावों को साबित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत पेमेंट कर देंगे।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और लागू रहेगी जब तक कि उक्त अनुबंध की सापेक्ष गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदार के आवेदन पर आप इसे जारी नहीं कर देते और ठेकेदार ने उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर दिया हो और उक्त अनुबंध के तहत काम के उचित समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और एक "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा कर दिया हो, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में _____ के दिन के बाद आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू नहीं रहेगी जो उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले उठे और मांगे गए हों या हमें लिखित रूप में अन्यथा सूचित किए गए हों, जो हमारे खिलाफ लागू होंगे, भले ही वे उक्त तिथि के बाद लागू हों या किए जा रहे हों।
4. अगर किसी भी वजह से इस गारंटी को बढ़ाना ज़रूरी हुआ, तो हम आपके कहने पर इस गारंटी का समय तब तक बढ़ाने का वादा करते हैं जब तक आपको इसकी ज़रूरत हो। इस बारे में आपका फैसला आखिरी होगा और हमें मानना होगा।
5. आपको इस गारंटी को प्रभावी किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और

शर्तों में परिवर्तन करने या ठेकेदार के कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को किसी भी समय दिए जाने या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी रियायत या उक्त अनुबंध या किसी भी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के द्वारा हमारी देयता से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत लेकिन यहां के प्रावधानों के लिए हमें हमारी देयता से मुक्त करने का प्रभाव होगा बशर्ते कि इसमें समाहित कोई भी बात हमारी देयता को पूर्वोक्त _____ रुपये (केवल _____ रुपये) की सीमा से आगे नहीं बढ़ाएगी।

6. इस गारंटी पर आपके कॉन्ट्रैक्टर या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई सिक्योरिटीज़ लेने, बदलने या छोड़ने, या कॉन्ट्रैक्टर के बंद होने, खत्म होने, दिवालिया होने या मौत, जैसा भी मामला हो, से कोई असर नहीं पड़ेगा।
7. इसमें दी गई गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आप कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में ऐसे काम करने के हकदार होंगे जैसे हम आपके मुख्य देनदार हों, जिसकी हमने पहले बताई गई गारंटी दी है और हम इसके द्वारा जमानत के अपने सभी अधिकारों और दूसरे अधिकारों को, अगर कोई हों, साफ़ तौर पर छोड़ देते हैं, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी नियम से मेल नहीं खाते हैं।
8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी लायबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट के तहत, यह गारंटी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपके सभी क्लेम या क्लेम को कवर करेगी, जो समय-समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होंगे और जिनके बारे में आपने इस गारंटी के खत्म होने की तारीख से छह महीने पहले हमारे पास लिखकर क्लेम किया है।
9. मांग के तौर पर या किसी और तरह से कोई भी नोटिस स्पेशल कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या रजिस्टर्ड पोस्ट से हमारे बताए गए लोकल पते पर भेजा जा सकता है और अगर पोस्ट से भेजा जाता है, तो

उसे पोस्ट किए जाने पर दिया हुआ माना जाएगा।

10. यह गारंटी और इसमें शामिल अधिकार और नियम, हमारी तरफ़ से आपको पहले दी गई किसी दूसरी गारंटी या गारंटियों (चाहे दूसरों के साथ मिलकर या अकेले) के अलावा हैं, न कि उनकी सीमा तय करने या उनकी जगह लेने के लिए हैं, और अब बिना कैंसल किए मौजूद हैं और इस गारंटी का मकसद ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है और न ही यह ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करेगी।
11. यह गारंटी कॉन्ट्रैक्टर या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी, न ही यह आपके संविधान में किसी भी बदलाव या उसके किसी भी मिलन या एब्जॉर्प्शन से प्रभावित होगी, बल्कि यह एब्जॉर्बिंग या मिलन वाली कंपनी या कंपनी के फायदे के लिए होगी और उसके द्वारा लागू की जा सकेगी।
12. इस निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की तरफ से कोई भी नरमी, काम या चूक या निविदा देने वाले के प्रति बैंक की तरफ से कोई नरमी दिखाने से ज़मानतदार किसी भी तरह से बरी नहीं होगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार की ज़िम्मेदारियां तभी पूरी होंगी जब बैंक ज़मानतदार को इसकी जानकारी देगा।
13. यह गारंटी इसके चलने के समय के दौरान इर्रिवोकेबल नहीं है और आपकी पहले से लिखकर मंजूरी के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14. हम आगे इस बात से सहमत हैं और वादा करते हैं कि आपके और कॉन्ट्रैक्टर या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई मतभेद, झगड़ा या विवाद होने पर भी, आपके द्वारा लिखकर मांगी गई रकम बिना किसी रुकावट के आपको देंगे।
15. ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी INR ____ (सिर्फ़ INR _____) तक ही सीमित है। जब तक इस गारंटी के खत्म होने की तारीख से छह महीने के अंदर, जिसमें कोई एक्सटेंशन भी शामिल है, इस गारंटी के तहत पेमेंट के लिए हम पर कोई लिखित दावा नहीं किया जाता है, तो गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त और डिस्चार्ज माना जाएगा, भले ही ओरिजिनल गारंटी हमें वापस मिले या नहीं।
16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और नीचे साइन करने वाले के पास बैंक द्वारा दिए गए

पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को पूरा करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(ऊपर बताए गए बैंक के लिए और उसकी ओर से)

के लिए और की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

अनुलग्नक IV

करार की शर्तें

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह करार की शर्तें _____ के दिन _____ को भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, -----, भुवनेश्वर-----, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई आर 400001 में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) जो प्रथम पक्ष है और

_____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा)

जो इस करार का दूसरा पक्ष है, के बीच निष्पादित किया गया।

जबकि एम्प्लॉयर, भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीज़ल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करना चाहता है और उसने किए जाने वाले कामों के बारे में बताते हुए स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटी का शेड्यूल दिया है।

और जबकि उक्त स्पेसिफिकेशन्स और मात्राओं की अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों तथा अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिन सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देश में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित दर पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें तय राशि या उसके तहत देय अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा)।

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1. बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट रकम के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर बताई गई शर्तों के तहत और उनके हिसाब से, बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताया गया काम पूरा करेगा।

2. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को बताई गई कॉन्ट्रैक्ट रकम या कोई दूसरी रकम, जो देनी होगी, शर्तों में बताए गए समय पर और तरीके से देगा।
3. उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का तात्पर्य इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, परिसर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से होगा।
4. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया कामों की देखरेख, बिलों के सर्टिफिकेशन, पेमेंट करने और कॉन्ट्रैक्ट की अलग-अलग शर्तों और नियमों को लागू करने का इंतज़ाम और मैनेजमेंट करेगा।
5. बताई गई शर्तों और अलग-अलग शेड्यूल को इस करार का हिस्सा माना जाएगा, और इसमें शामिल पार्टियां इन शर्तों का पालन करेंगी, इनके अधीन रहेंगी और अपनी ओर से बताई गई शर्तों में दिए गए करार को पूरा करेंगी।
6. यहां बताया गया करार और डॉक्यूमेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे।
7. यह कॉन्ट्रैक्ट न तो एकमुश्त फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है और न ही पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि यह भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) के लिए कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के काम को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट है, -----, भुवनेश्वर----- जिसका पेमेंट असल में मापी गई मात्रा के हिसाब से शेड्यूल ऑफ़ रेट्स और संभावित मात्रा में दिए गए रेट पर या बताई गई शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।
8. कॉन्ट्रैक्टर, बताए गए कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
9. एम्प्लॉयर इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर काम के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

10. इस कॉन्ट्रैक्ट में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर इस बात से सहमत है कि साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद या शर्तों में बताई गई शुरू करने की तय तारीख से, जो भी बाद में हो, काम शुरू कर देगा और समय बढ़ाने के नियमों के तहत **60 दिनों के अंदर पूरा काम पूरा कर देगा**। लिखित रूप में ऐसे तरीके से (जैसे किसी डीड या करार के ज़रिए या चिट्ठियों/ईमेल के लेन-देन से) जैसा कि दोनों पार्टियां आपस में तय करेंगी।

11. वारंटी/डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और नॉन-कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट:

- a. सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर सभी तरह के डिफेक्ट्स के लिए गारंटी होगी, जो वर्चुअल कम्प्लीशन की तारीख से **एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड** के लिए होगा। गारंटी पीरियड के अंदर सिस्टम/सब-असेंबली में कोई भी डिफेक्ट पाए जाने पर, निविदा देने वाले को बैंक को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ठीक करना/बदलना होगा। रेट में महीने के इंटरवल पर या उससे पहले सर्विसिंग/इंस्पेक्शन शामिल होना चाहिए, जैसा कि मैनुफैक्चरर ने तय किया है और इस दौरान आपसी सहमति से तय किया गया है। हालांकि, इंजन ऑयल, फिल्टर वगैरह जैसे कंज्यूमेबल्स का खर्च बैंक देगा।
- b. एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली **गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा** के शुल्क, निविदाकर्ता द्वारा अपनी बोली में अलग से उद्धृत किए जाएंगे। **गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध** अवधि के दौरान, रखरखाव / सर्विसिंग मासिक अंतराल पर या उससे पहले निर्माता द्वारा निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत अनुसार की जाएगी और इसे किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल के अलावा किया जाएगा। ये दरें एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से लागू होंगी। गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा शुल्क का भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने और सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सभी ब्रेकडाउन, रखरखाव और ओवरहॉलिंग भी गैर-व्यापक एएमसी के दायरे में होंगे। बैंक को खुले बाजार से सिस्टम के

रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और रखरखाव / ओवरहॉलिंग करने के लिए इसे एएमसी ठेकेदार को सौंपने का अधिकार होगा।

- c. AMC में इंजन, अल्टरनेटर और मैनुअल कंट्रोल पैनल शामिल होना चाहिए।
- d. वारंटी पीरियड या नॉन-कॉम्प्रिहेंसिव सालाना मेंटेनेंस सर्विस पीरियड के दौरान, सिस्टम में कोई भी खराबी आने पर, सिस्टम में खराबी की जानकारी मिलने के 8 घंटे के अंदर उसे ठीक करना होगा। इसलिए, बताए गए रेट में सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च समेत सारा खर्च शामिल होगा। अगर ऊपर बताए गए समय के दौरान 8 घंटे के अंदर सिस्टम में खराबी ठीक नहीं की जाती है, तो हर दिन Rs.500/- की पेनल्टी लगेगी, जो सालाना मेंटेनेंस चार्ज का ज़्यादा से ज़्यादा 100% AMC होगा। इसके अलावा, अगर सिस्टम **10 दिनों के अंदर ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क और खर्च पर सिस्टम को ठीक करने का अधिकार होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक को सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए पेनल्टी के तौर पर बैंक गारंटी लेने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का भी अधिकार होगा।**
- e. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एक साल की वारंटी के बाद, एक साल के शुरुआती सालाना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद कम से कम 8 साल के और समय के लिए वैध होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के पहले साल के बाद नए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा।

AC = AP [(15+85x(CPI _C /CPI _P)) /100	
A _C	चालू साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की रकम।
A _P	पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट
CPI _C	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।
CPI _P	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।

12. **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (BG):-** DG सेट की अनुमानित लाइफ साइकिल 10 साल है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 5% PBG, सिस्टम के चालू होने और हैंडओवर होने की तारीख से 5 साल और

दो महीने तक वैध रहेगा। इसके बाद, बैंक गारंटी अगले 5 (पांच) सालों के लिए शुरुआती वैल्यू का पचास परसेंट (50%) कम कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को मौजूदा BG के खत्म होने के चार हफ्ते पहले एक नया PBG जमा करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम लिमिट के अंदर नया PBG जमा नहीं कर पाता है, तो बैंक के पास जमा किए गए BG को वापस लेने का अधिकार होगा।

13. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयर द्वारा सभी पेमेंट सिर्फ़ भुवनेश्वर में ही किए जाएंगे।
 14. इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से होने वाले सभी विवाद भुवनेश्वर में हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ भुवनेश्वर की अदालतों के पास होगा।
 15. इस कॉन्ट्रैक्ट के कई हिस्से कॉन्ट्रैक्टर ने पढ़ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं। कॉन्ट्रैक्टर निविदा की गई क्वांटिटी से ज़्यादा के पेमेंट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज से खास लिखित निर्देश न मिले।
 16. कॉन्ट्रैक्टर सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस करार के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।
- कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

17. कॉन्ट्रैक्टर को वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम एक्ट के नियमों का पालन करना होगा।

a) बैंक के अंदर अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर पूरी तरह से फर्म जिम्मेदार होगी। शिकायत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा बनाई गई रीजनल कमेटी के सामने फाइल की जाएगी और बैंक शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगा।

b) फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक / DICGC के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट कमिटी ध्यान देगी।

c) अगर घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हैं, तो फर्म किसी भी राशि के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होगी, जैसे कि अगर फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारियों को कोई भी राशि की राहत।

d) फर्म अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

e) फर्म को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में ठेकेदारों ने इन दस्तावेजों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

यदि ठेकेदार एक
साझेदारी या एक
व्यक्ति है

ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में नियोक्ता और ठेकेदार ने
इन दस्तावेजों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

यदि ठेकेदार एक
कंपनी है

जिसके गवाह में नियोक्ता और ठेकेदार ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी
के माध्यम से ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को इन दस्तावेजों के लिए अपने
हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

हस्ताक्षर खंड:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द -

(नाम और पदनाम)

गवाहों की उपस्थिति में -

1. _____

पता _____

2. _____

पता _____

यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म या
व्यक्ति है

_____ द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द -

की उपस्थिति में -

सत्यापन-

1. _____

पता _____

2. _____

पता _____

_____ की सामान्य मुहर

_____ को आयोजित बैठक में निदेशको ने
बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार यहां मुहर लगाई है और इसकी पुष्टि की है।

की उपस्थिति में -
सत्यापन-

1. _____

2. _____

यदि ठेकेदार
कॉमन सील लगाता है तो
इसका आर्टिकल ऑफ
असोसिएशन के सीलिंग क्लॉज
का मिलान होना चाहिए

जिन निदेशको ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं
की उपस्थिति को सत्यापित करते हुए -

1. _____

2. _____

यदि यह करार है
पावर ऑफ अटॉर्नी
से हस्ताक्षरित है,
चाहे कोई कंपनी हो या
एक व्यक्ति।

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द -

ठेकेदार

श्री _____

_____ और विधिवत पावर ऑफ अटॉर्नी

अनुलग्नक-V

किसी शेड्यूल्ड बैंक से बैंकर्स सर्टिफिकेट का फॉर्म

1. फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/ प्राइवेट लिमिटेड/ प्रोप्राइटरशिप/ पब्लिक लिमिटेड हो।)
2. फर्म के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम।
3. फर्म को मिली क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
4. संव्यवहार
5. वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
6. कोई और टिप्पणी?

आप अपनी राय भी भेज सकते हैं कि क्या ऊपर बताई गई फर्म को Rs.9.05 लाख के अनुमानित खर्च वाले काम का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फाइनेंशियली ठीक माना जाता है। - हाँ/नहीं।

(हस्ताक्षर) बैंक की ओर से

टिप्पणी:

1. बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, और एनलिस्टमेंट अथॉरिटी के नाम पर सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए।
2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज सभी पार्टनर्स के नाम शामिल करने के लिए सर्टिफिकेट।

अनुलग्नक-VI

काम की जगह पर सर्विस सेटअप की जानकारी

क्रमांक	सर्विस सेंटर का विवरण	
1	सेवा केंद्र का पता (ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए)	
2	संपर्क नंबर	
3	कर्मचारियों की संख्या	
4	क्या DG सेट के स्पेयर पार्ट्स स्टॉक में हैं?	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक VII

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए तकनीकी विचलन को छोड़कर, बैंक के सभी टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस और स्पेसिफिकेशन्स हमें स्वीकार्य हैं।

क्रमांक	खंड सं.	उपखंड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नाम

पदनाम

दिनांक

अनुलग्नक VIII

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची, यदि कोई हो

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविेशन को छोड़कर, बैंक के सभी टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस और स्पेसिफिकेशन्स हमें स्वीकार्य हैं।

क्रमांक	खंड सं.	उपखंड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नाम

पदनाम

दिनांक

अनुलग्नक IX

बैंकों का विवरण

हमारे बैंकर्स की डिटेल्स नीचे दिए गए फ़ॉर्मेट में अपलोड की गई हैं।

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा और उसका पूरा पता	संपर्क व्यक्ति का नाम	टेलीफोन और फैक्स नंबर
1	2	3	4	5

मुहर और कंपनी के हस्ताक्षर

नाम

पद का नाम

तारीख

अनुलग्नक X

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन करार से सभी पक्षों को यह ज्ञात हो कि, हम.....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री को को हमारे अटॉर्नी के रूप में अधिकृत, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं (पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और के पद पर है और वे हमारे नाम पर और हमारी ओर

से, ऐसे सभी कार्यों, प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं के संबंध में **50 KVA डीज़ल जेनरेटर सेट, कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ, बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) भुवनेश्वर में सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए हमारे निविदा से जुड़े या उससे जुड़े सभी ज़रूरी कार्य करने के लिए।** भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मदद दर अनुबंध के आधार पर, सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और सुपुर्द करना और आरबीआई को सूचना/प्रतिक्रिया देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ काम करना शामिल है।

हम इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, प्रक्रियाओं

और अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य,

और प्रक्रिया हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाती रहेंगी।

नोट:

पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)

नाम

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(कृपया ध्यान दें : इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक- XI

पार्ट A (अगर निविदा देने वाला ऑथराइज़्ड डीलर है)

**इस बिड में भाग लेने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) से लेटर ऑफ़
ऑथराइज़ेशन का प्रोफ़ॉर्मा**

(पेश किए गए DG सेट के मैनुफैक्चरर्स द्वारा उनके लेटर हेड पर जारी किया जाएगा)

तारीख:

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

भुवनेश्वर

**विषय: मेसर्स _____ को 50 KVA डीज़ल जेनरेटर सेट, कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक
एनक्लोजर के साथ, बैंक के स्टाफ कार्टर्स बरमुंडा (SQBM) भुवनेश्वर में सप्लाई, इंस्टॉलेशन,
टेस्टिंग और कमीशनिंग के निविदा में भाग लेने के लिए ऑथराइज़ेशन लेटर।**

महोदय,

हम _____, (DG सेट के OEM का नाम और पता) _____ (प्रस्तावित
DG सेट का मेक) के मैनुफैक्चरर, जिनकी फैक्ट्रियां _____ (मैनुफैक्चरिंग / डेवलपमेंट
लोकेशन के पते) पर हैं, इसके द्वारा मेसर्स _____
(निविदा का नाम और पता) को हमारे द्वारा बनाए गए / डेवलप किए गए ऊपर दिए गए इक्विपमेंट के
लिए ऊपर बताए गए निविदा के तहत आपके साथ बोली लगाने, बातचीत करने और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने
के लिए प्राधिकार देते हैं।

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर बताए गए इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स की लाइफ़ खत्म नहीं हुई है।

भवदीय

मेसर्स _____ (निर्माता का नाम)

मुहर और हस्ताक्षर :

नाम :

पद का नाम :

पता :

तारीख :

नोट: इस लेटर ऑफ़ अथॉरिटी पर मैन्युफैक्चरर के ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के साइन होने चाहिए।

अनुलग्नक- XII

पार्ट B (अगर निविदा देने वाला OEM है तो लागू)

निविदा देने वाले की तरफ़ से यह घोषणा कि वह ऑफ़र किए गए DG सेट का असली इक्विपमेंट
मैन्युफ़ैक्चरर है

तारीख:

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

भुवनेश्वर

काम का नाम: भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ़ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक
एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और
कमीशनिंग

हम _____, (निविदा का नाम और पता) इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम ऊपर बताए
गए काम के लिए हमारे द्वारा ऑफ़र किए जा रहे DG सेट (मॉडल नंबर.....) के ओरिजिनल
इक्विपमेंट मैन्युफ़ैक्चरर हैं।

हमारी फैक्ट्री/फैक्ट्रीज़ _____ (मैन्युफ़ैक्चरिंग लोकेशन के पते) पर है/हैं।

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर बताए गए इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स की लाइफ़ दिसंबर तक खत्म नहीं होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

निविदाकर्ता की मुहर/मुहर

अनुलग्नक - XII I

मूल देश की घोषणा

(निविदा द्वारा दिया जाना है)

कार्य का नाम : भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा

यह प्रमाणित किया जाता है कि

a) ऑफ़र किया गया DG सेट है नया:

b) DG सेट को डिस्पैच से पहले बनाया, असेंबल किया जाएगा और इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाएगा। कार्य/कारखाना का _____ (पता)

इसलिए, देश का मूल का डीजी सेट निम्नांकित होगा -

तारीख :

(कंपनी का नाम, पता और कंपनी की सील के साथ)

नोट : मैनुफैक्चरर के काम की जगह पर डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन करने के लिए खास पता देना होगा।

अनुलग्नक – XI V

**भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन-पत्र / घोषणा /
प्रमाण पत्र के लिए कार्यनिष्पादन**

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, 2 मंजिल,

मुख्य कार्यालय भवन,

भुवनेश्वर- 751001

**कार्य का नाम: भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक
एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और
कमीशनिंग के लिए निविदा**

प्रिय महोदय,

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम)
एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय
विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत के साथ भूमि
सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

2. उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और बोलीदाता के संबंध में इसके बाद के
संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत
है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन की सुविधा दी है या iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास प्रोजेक्ट में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-अनुबंध नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं समझ गया हूं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन-पत्र/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि (ईएमडी)/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / सेक्युरिटी डिपॉजिट राशि को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर स्टैम्प के साथ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक- XV

वचन पत्र

(काम को समझने के लिए निविदा देने वाले के साइट विज़िट के बारे में)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

भुवनेश्वर-----

महोदय,

काम का नाम: भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ कार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग।

हम, _____, ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा देने वाले, कन्फर्म करते हैं कि हमने साइट देखी है और मौजूदा सिस्टम, जो अभी काम कर रहा है, उसकी सही डिटेल्स और प्रपोज़्ड सिस्टम के काम के स्कोप को भी समझ लिया है। हम प्रपोज़्ड नए सिस्टम के लिए मौजूदा केबलिंग का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, साइट की कंडीशन के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से, और इसे (मौजूदा केबलिंग, अगर कोई हो और नई केबलिंग) डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के स्कोप में और आगे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में लेंगे, साथ ही बाकी DG सेट भी बताए गए काम के स्कोप में दिया जाएगा।

भवदीय,

()

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी का नाम और पता कंपनी की सील के साथ)



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा।

भाग – द्वितीय (कीमत बोली)

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/ 5/25-26/ईटी/157

निम्नांकित को निविदा जारी :

निविदाकर्ता का नाम:-----

पता-----

भुवनेश्वर में बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स बरमुंडा (SQBM) में कंट्रोल पैनल और अकूस्टिक एनक्लोजर के साथ 50 KVA डीजल जनरेटर सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

क्र	कार्य का वर्णन	मात्रा	जीएसटी सहित दर ₹ में	जीएसटी सहित राशि ₹ में
1	<p>जनरेटर सेट:</p> <p>नवीनतम सरकारी मानदंडों के अनुसार ध्वनिक आवरण के साथ 50 केवीए क्षमता के मैनुअल स्टार्ट साइलेंट डीजल जनरेटर सेट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, चालू करना (डीएसआईटीसी) और सौंपना, नवीनतम विस्तृत विनिर्देश और सीपीसीबी-IV+ मानदंडों के अनुसार, 3 चरण, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज जो 0.8 पीएफ लैग पर 100% लोड पर 65 बीएचपी से कम नहीं विकसित करने में सक्षम है, डीजल इंजन, अल्टरनेटर, वाटर कूल्ड रेडिएटर, स्वयं शुरू करने वाला उपकरण, माइक्रोप्रोसेसर आधारित एकीकृत नियंत्रक जिसमें वोल्टेज रीडिंग, इंजन और अल्टरनेटर पैरामीटर के साथ वर्तमान रीडिंग जैसे सभी रीडिंग प्रदर्शित की जानी हैं, इन्सुलेशन के साथ आवासीय ग्रेड साइलेंसर, तांबे के तारों को जोड़ने वाली बैटरी, इंजन पैनल, बेस फ्रेम,</p> <p>(ए) मूल दर</p> <p>(ख) परिवहन और भंडारण सह निर्माण की लागत</p> <p>(सी) जीएसटी सहित सभी वैधानिक कर और पारगमन और भंडारण सह निर्माण के लिए बीमा</p>	1 सेट		

	<p>(d) DG सेट को लगाने, लोड करने, उतारने, टेस्ट करने और चालू करने का चार्ज, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से निविदा के हिसाब से कानूनी अधिकारियों से मंजूरी लेना भी शामिल है।</p> <p>(e) नए DG सेट की टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए डीज़ल, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह जैसे कंज्यूमेबल्स की कीमत (फ़ैक्ट्री टेस्टिंग में फ़ुल लोड पर लगभग 4 घंटे और साइट पर 2 घंटे)</p> <p>(f) कैनोपी और/या DG सेट के पार्ट्स को खोलने और फिर से जोड़ने का खर्च, ताकि DG सेट को फ़ाइनल इंस्टॉलेशन की जगह तक आसानी से पहुँचाया जा सके।</p> <p>(g) अल्टरनेटर से स्टैंडर्ड पैनल तक पावर केबल भी शामिल है।</p> <p>(h) काम में स्टैंडर्ड मैनुअल कंट्रोल पैनल का SITC शामिल है, जिसमें 4 पोल 100A MCCB, इंडिकेटिंग लैंप, सभी ज़रूरी हार्डवेयर, कंट्रोल केबल वगैरह शामिल हैं, और यह सब बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देश पर किया जाएगा।</p>			
2	<p>अर्थिंग:</p> <p>IS:3043:1966 के अनुसार और आज तक बदले गए निर्देशों के अनुसार, टेस्ट पॉइंट तक 25 x 5 mm टिन वाली कॉपर अर्थ स्ट्रिप के दो रन की सप्लाइ और बिछाने सहित फनल, GI वॉटर पाइप के साथ अर्थ स्टेशन देना।</p> <p>(2 बॉडी / इक्विपमेंट के लिए और 2 न्यूट्रल अर्थ के लिए)</p> <p>जैसा कि निविदा में डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स</p>	4 संख्या		

	में बताया गया है और जैसा कि बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज ने बताया है।			
3	अर्थ स्ट्रिप की सप्लाई और बिछाने का काम: - 25 mm x 5 mm टिन वाली कॉपर अर्थ स्ट्रिप की सप्लाई और फिक्सिंग, जिसमें ब्लैक स्लीव लपेटी हुई हो, ज़रूरी सामान जैसे क्लैंप, स्कू, स्पेसर और क्रोमियम प्लेटेड नट और बोल्ट के साथ सही जोड़ और कनेक्शन हों, जैसा बताया गया है वैसा ही पूरा हो (बॉडी / इन्क्रिपमेंट और न्यूट्रल अर्थिंग के लिए)।	20 आरएम टी		
	कुल (1+2+3) (ए)			
4	गैर-व्यापक रखरखाव अनुबंध (एनसीएमसी): (बी) निविदा पार्ट-1 में बताए गए सालाना मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज (बिना स्पेयर पार्ट्स के) इंजन, अल्टरनेटर, स्टैंडर्ड इंजन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, अकूस्टिक एनक्लोजर, बैटरी, बैटरी चार्जर यूनिट वगैरह के लिए हर साल (शुरुआती गारंटी पीरियड / 01 साल की डिफेक्ट्स लायबिलिटी के बाद एक साल के लिए वैध)। उसके बाद रेट में बढ़ोतरी (अगर कोई हो) आरबीआई बुलेटिन के अनुसार प्राइस इंडेक्स के आधार पर मानी जाएगी। *अगर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी, तो बैंक अलग से खरीदेगा।	प्रतिवर्ष		

सिस्टम की नेट ओनिंग कॉस्ट = कैपिटल कॉस्ट (A) + (AMC चार्ज (B) x MF)

(MF 10 साल के लिए NPV फैक्टर है (1 साल की वारंटी + 9 साल की AMC) = **7.0476**)